

BHARATHI COLLEGE OF EDUCATION



KANDRI, MANDAR, RANCHI

B.Ed

(Course 1-6)

Session:- 2021-2023

Assignment

Guided By:-

Course I	: Prof. Madhu Ranjan
Course II	: Dr. Salma Khatoon
Course III	: Dr. Binita Choudhary
Course IV	: Dr. Ribha Kumari
Course V	: Asst. Prof. Manoj Kumar Gupta
Course VI	: Prof. Vivek Raj Jaiswal

Submitted By:-

Name :- Madhumika Kujur
Class :- B.Ed 1st Year
Roll No :- 10
Session :- 2021-2023

आभार ज्ञापन

शिक्षा मुख्य रूप से दीपक्षीय प्रक्रिया है जिसमें सीखना और सीखाना महत्वपूर्ण है। बी० एड० कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक स्तर पर निर्देशन, परामर्श आदि दोनों क्षेत्रों का महत्वपूर्ण स्थान है।

बी० एड० कार्यक्रम को पूर्ण करने में समस्त व्याख्यातागण का सहयोग रहा। इसमें हमें व्यक्ति में वृद्धि व विकास की जानकारी प्राप्त हुई।

मैं सक्रिय कार्य के लिए सबसे पहले महाविद्यालय भारथी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के शैक्षणिक सचिव दीपाली परासर और हमारे प्रभारी प्राचार्य व्याख्याता श्री राकेश कुमार राय ने विशेष योगदान दिया जिसके लिए मैं आप सभी को विशेष आभार एवं कृतज्ञता का भाव व्यक्त करता हूँ।

मैं अपने पुस्तकालय अध्यक्ष को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे सक्रिय कार्य से संबंधित पुस्तकों को उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान किया।

मैं अपने माता पिता सभी मित्रों को एवं परिजनों को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मेरे कार्यभार में मुझे सहयोग प्रदान किया।

धन्यवाद।

प्रशिक्षु का नाम	:- मधुमिका कुजूर
रोल नं०	:- 10
कक्षा	:- बी० एड० (प्रथम वर्ष)
सत्र	:- 2021-2023

INDEX

S.No	Course	Page No	Remark
1	अभिवृद्धि तथा विकास से आप क्या समझते हैं? अभिवृद्धि तथा विकास के विभिन्न चिह्नों की व्याख्या करें?	1-18	
2	शिक्षा से आप क्या समझते हैं? शिक्षा के उद्देश्य तथा उसके प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करें?	19-37	
3	अधिगम से आप क्या समझते हैं? अधिगम के विभिन्न कारकों का वर्णन करें?	38-52	
4	भाषा किसे कहते हैं? एक शिक्षक परिशिष्टनार्थी पाठ्यक्रम में आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना करें?	53-66	
5	शिक्षा दर्शन से क्या तात्पर्य है? शिक्षा और दर्शन के संबंध की विवेचना करें?	67-84	
6	सामाज में स्त्रियों की क्या भूमिका है? लिंगीय विभेद को दूर करने के लिए संनिधान में क्या उपाय है?	85-102	

COURSE

1

CHILDHOOD AND GROWING UP

आभार ज्ञापन

शिक्षा मुख्य रूप से द्विपक्षीय प्रक्रिया है जिसमें सीखना और सीखाना महत्वपूर्ण है। वी० एड० कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक स्तर पर निर्देशन, परामर्श आदि दोनों क्षेत्रों का महत्वपूर्ण स्थान है।

वी० एड० कार्यक्रम के अंतर्गत हमें समस्त व्याख्यातागण का सहयोग मिला। इसमें हमें व्यक्ति में वृद्धि व विकास की जानकारी प्राप्त हुई।

मैं सक्रिय कार्य के लिए सबसे पहले महाविद्यालय भारतीय कॉलेज ऑफ एजुकेशन में बाल्यावस्था और विकास के व्याख्यता मधु रंजन के निर्देशन में इस कार्य को पूर्ण किया। जिसके लिए मैं उनके प्रति सहृदय अभारी हूँ।

धन्यवाद।

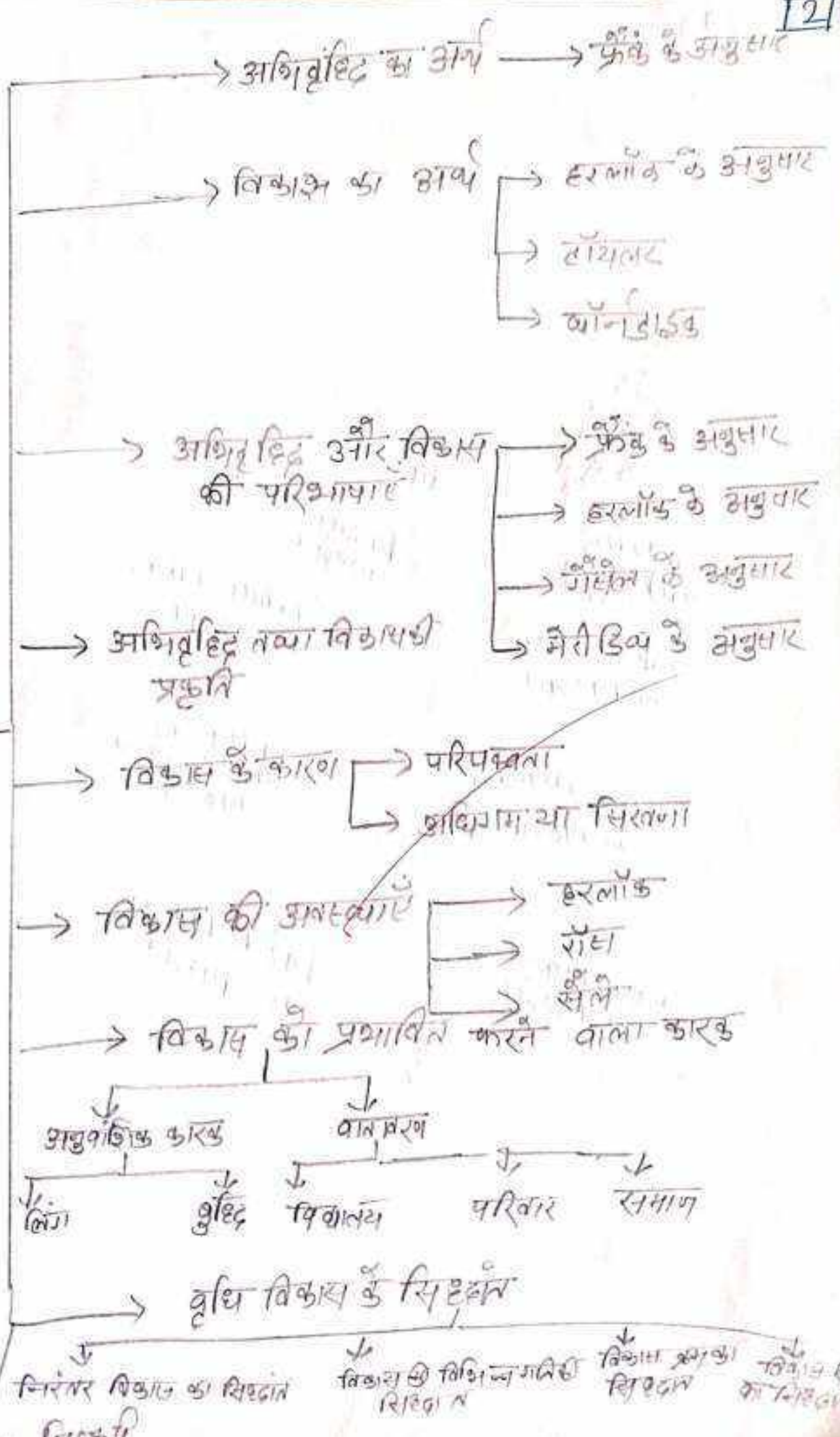
प्रशिक्षु का नाम	:- मधुमिका कुजूर
रोल नं०	:- 10
कक्षा	:- वी० एड० (प्रथम वर्ष)
सत्र	:- 2021-2023

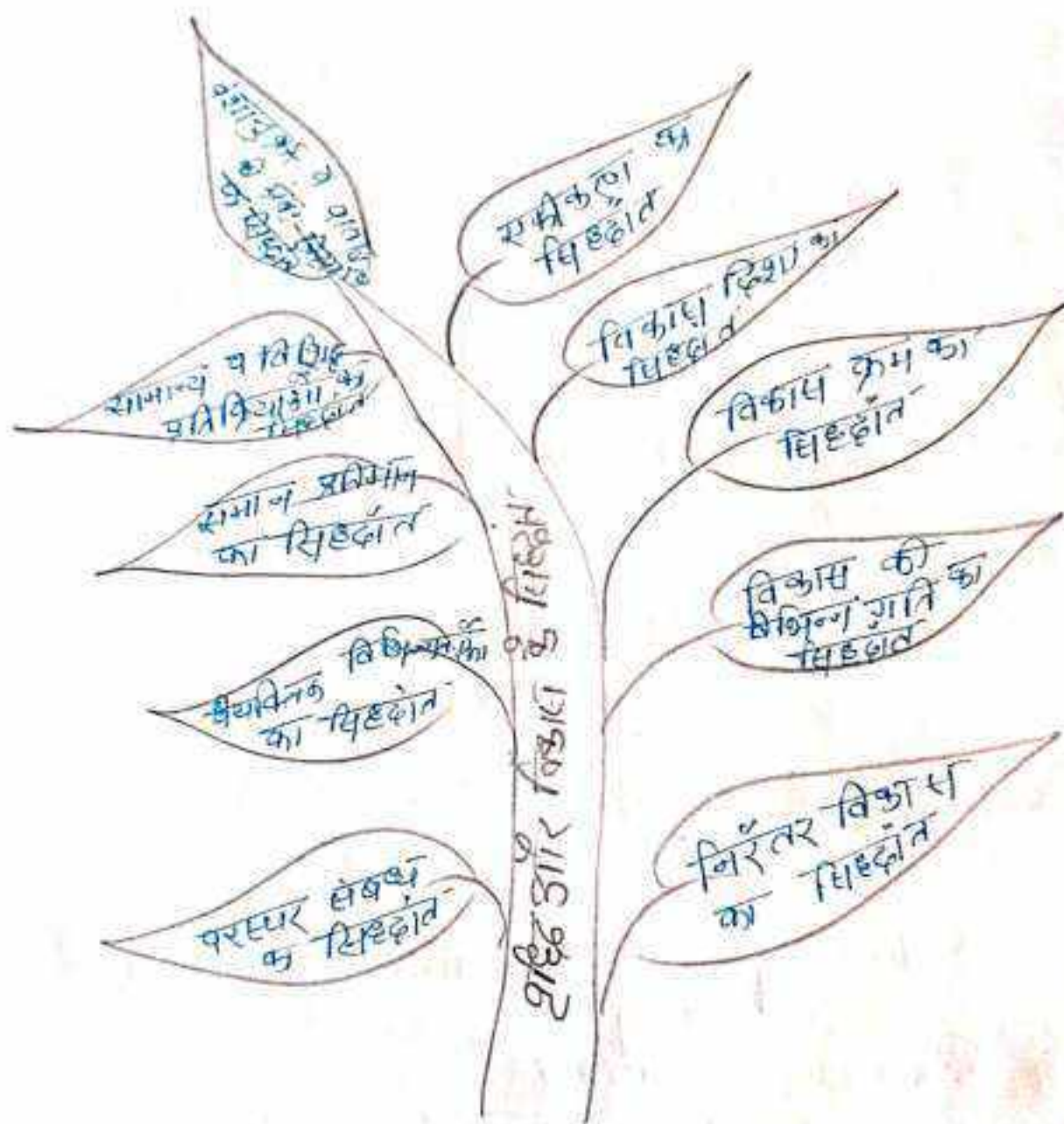
प्रश्न → अभिवृद्धि तथा विकास से आप क्या समझते हैं? अभिवृद्धि तथा विकास के विभिन्न चिह्नों की व्याख्या करें?

हम सभी जानते हैं कि गर्भ स्थिति से लेकर मृत्युपयन्त व्यक्ति में परिवर्तन होते रहते हैं। बालक जन्म लेने के पश्चात् शैशवकाल में आता है। इसके बाद बाल्यकाल, किशोरकाल और प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करता है। इन सभी अवस्थाओं में परिवर्तन आते हैं। जिनका प्रमुख आधार अभिवृद्धि और विकास होता है। शिक्षण के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह बालक के विकास के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें। विकास के अर्थ, अवस्थाएँ व चिह्नों को माली-भाँती समझ लें। इस ज्ञान के आधार पर ही वह बालक में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार अपनी शिक्षण प्रणाली को विकसित कर सकता है।

विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया है। इसमें बहुत सी बातें का समावेश होता है।

अभिवृद्धि और विकास





अभिवृद्धि का अर्थ

कौशिकाओं की मुद्रालोक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है। जैसे - कुंवाई, भार, -वौड़ाई आदि की वृद्धि हाथ पैर का बढ़ना आदि अभिवृद्धि कहलायेगी।

- प्रौढ़ के अनुसार, "कौशिक मुद्रालोक वृद्धि ही अभिवृद्धि है"

सामान्य तौर पर व्यक्ति के स्वभाविक विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। गर्भ धारण के समय, भ्रूण बनने से लेकर जन्म होने तक जो प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं तथा प्रौढ़वस्था तक व्यक्ति में जो भी स्वभाविक परिवर्तन होते हैं, जिन पर शिक्षण अथवा प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता अभिवृद्धि कहलाते हैं।

मानव अभिवृद्धि की विशेषताओं एवं स्वरूप का अध्ययन प्रायः सभी शरीरविज्ञानी जीवशास्त्री, मनोविश्लेषक, मनोचिकित्सक, मनोविज्ञानिक, समाजशास्त्री तथा बाल चिकित्सक आदि करते हैं।

मानव अभिवृद्धि की प्रकृति के अध्ययन से यह ज्ञात होता है

होता है कि बालक के शरीर और व्यवहार के प्रमुख आकार-प्रकार में किस प्रकार परिवर्तन सहित होता है। शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य ही है बालक के व्यक्तित्व में प्रगतिशील परिवर्तन लाना। यह परिवर्तन मानव अभिवृद्धि की प्रकृति के अनुरूप ही लाया जा सकता है।

विकास का अर्थ

सम्पूर्ण आकृति या रूप में परिवर्तन ही 'विकास' है। वास्तव में विकास सम्पूर्ण अभिवृद्धियों का संगठन है। इसके कारण बालक की कार्यक्षमता और कुशलता में प्रगति होगी है। उदा. - पैरों की वृद्धि, हाड़ की वृद्धि अभिवृद्धि है किन्तु इनका सम्मिलित रूप 'शारीरिक विकास' कहलाता है। इस विकास में ही शारीरिक क्षमता में परिवर्तन आता है।

अभिवृद्धि के साथ-साथ बालक में विकास भी होता जाता है। विकास जीवन-पथन्त प्रभावपूर्ण चलने वाली प्रक्रिया है।

- हरलॉक के अनुसार, "विकास, अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। इसकी अपेक्षा इसमें परिपक्वाण्डा के लक्ष्य की

और, परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणामस्वरूप व्यापक में नहीं - नहीं विशेषताएँ और नहीं - नहीं सीधेताएँ प्रकट होती हैं।

- 'हरलॉक' के अनुसार विकास की अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता रहता है।

- 'टोयलर' के अनुसार विकास एक दिशा की ओर जाने वाला मार्ग है।

बालक का विकास सहा एकीकृत होता है। विकास के अनेक पक्ष होते हैं तथा शारीरिक, सामाजिक, मानसिक व. सैवैगात्मिक आदि प्रत्येक पक्ष में पृथक्-पृथक्, अंगों एवं शक्तियों का विकास होता है।

विकास एक निरंतर - चलने वाली प्रक्रिया है। किन्तु शैशवकाल में विकास अधिक तीव्र होता है।

ज्यों-ज्यों आयु बढ़ती जाती है, विकास की गति गन्त होने लगती है।

वस्तुतः एवं शारीरिक

ने यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रादुर्भाव पक्षों में शुष्क प्रकार का विकास अधिक तीव्र होता है। शिक्षण की दृष्टि से इस निष्कर्ष का निहितार्थ यह हुआ कि शिक्षकों की शिक्षा का प्रथम अधिक

सावधानी से लेना चाहिए।

अभिवृद्धि तथा विकास की परिभाषाएँ

गैरी उच्च के अनुसार - "फुल लैसक अभिवृद्धि का प्रयोग केवल आकार की वृद्धि के अर्थ में करते हैं और विकास का विभेदीकरण के अर्थ में।"

हरलॉक के अनुसार - "विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें प्रौढ़त्व के लक्षण की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएँ तथा नवीन योग्यताएँ प्रकट होती हैं।"

फ्रैंक के अनुसार - "अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लम्बाई और भार में वृद्धि, जबकि विकास से तात्पर्य प्राणी में होने वाले सम्पूर्ण परिवर्तनों से होता है।"

गैरील के अनुसार - "विकास, प्रत्यय से अधिक है। इसे देखा, जौंचा और किसी सीमा तक तीन प्रमुख दिशाओं - शरीर अंग विश्लेषण, शरीर ज्ञान तथा व्यवहारत्मक, में मापा जा सकता है।"

अभिवृद्धि तथा विकास की प्रकृति

वृद्धि और विकास में अत्यन्त दृढ सम्बन्ध होता है। अभिवृद्धि मात्रात्मक या परिणामात्मक परिवर्तन की और संकेत करती है।

इसका सम्बन्ध सिर्फ आकार व वजन बढ़ने से होता है। भोजन बढ़ने से शरीर में बाह्य तथा आन्तरिक दोनों प्रकार के अंगों का आकार बढ़ता है। वृद्धि वृद्धि पर निर्भर करती है। इसके आधार पर बालक की आयु का पता लगाया जा सकता है।

जैसे-जैसे बालक की अभिवृद्धि होती रहती है उसी विभिन्न क्षमताओं में वृद्धि होती रहती है। वृद्धि एक निश्चित अवस्था तक आकर रुक जाती है।

विकास के कारण

मानवी शान्ति में विभिन्न अध्ययनों के बाद विकास के निम्नलिखित कारण

को निरन्तर किया -

1) परिपक्वता :- "हरलॉक" के अनुसार - परिपक्वता की आवश्यकता से तात्पर्य व्यक्ति में मौजूद आंतरिक योग्यताओं का विकास या उनका अनावरण है।" परिपक्वता की प्रक्रिया बालक के विकास के जन्म से लेकर तब तक तब तक प्रभावित करती रहती है। जब तक कि अन्तिम स्नायुतन्त्र पूर्ण रूप से दृढ़ परिपक्व नहीं हो जाता है।

2) अधिगम या सीखना :- सीखना व्यक्ति के अन्तर्गत और अनुभव का संकेत होती है। व्यक्ति व्यवहार में परिवर्तन एक कार्य को अभ्यास करके या केवल पुनरावृत्ति से सीख कर सही समय पर होता है। अव्यक्त एक ऐसा परिवर्तन एक नैसर्गिक यथन, निर्देशन और प्रयोजनमूलक प्रकार के कार्य प्रशिक्षण से आता है। सीखने की प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है। इसके कारण ही बालक विकास की ओर बढ़ता है।

विकास की अवस्थाएँ

प्रत्येक मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास की कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है। उदा. मानसिक, शारीरिक, लैंगिक, सामाजिक और पारिवारिक विकास गिरत होता रहता है। यह सब विकास उसके विभिन्न वायु स्तरों पर भिन्न-भिन्न रूप में होता है। इस आयु स्तरों की ही विकास की अवस्थाएँ कहते हैं।

भिन्न-भिन्न मनीषाओं

ने मानव विकास की अवस्थाओं को भिन्न-भिन्न मनीषाओं ने मानव की अवस्थाओं को भिन्न-भिन्न रूप में वर्गीकृत किया है।

भारत में मनुष्य जीवन की निम्न सात अवस्थाओं में विभाजित करके देखा-समझा जाता है -

- I गर्भावस्था - गर्भाधान से जन्म तक
- II शिशुवावस्था - जन्म से 5 वर्ष तक
- III बाल्यावस्था - 5 वर्ष से 12 वर्ष तक
- IV किशोरावस्था - 12 वर्ष से 18 वर्ष तक
- V युवावस्था - 18 वर्ष से 25 वर्ष तक
- VI प्रौढ़ावस्था - 25 वर्ष से 55 वर्ष तक
- VII वृद्धावस्था - 55 वर्ष से मृत्यु तक

हरलोक के अनुसार विकास की अवस्थाएँ :-

- I गर्भावस्था - जन्म से पूर्व
- II प्रारंभिक शैशवावस्था - जन्म से 14 दिवस तक
- III उत्तर शैशवावस्था - 14 से 2 वर्ष तक
- IV बाल्यवस्था - 2 से 11 वर्ष तक
- V प्रारंभिक किशोरावस्था - 11 से 13 वर्ष तक
- VI किशोरावस्था - 13 से 17 वर्ष तक
- VII उत्तर किशोरावस्था - 17 से 21 वर्ष तक

रॉस के अनुसार विकास की अवस्थाएँ -

- I. शैशवावस्था - 1 से 3 वर्ष तक
- II प्रारंभिक बाल्यकाल - 3 से 6 वर्ष तक
- III उत्तर बाल्यकाल - 6 से 12 वर्ष तक
- IV. किशोरावस्था - 12 से 18 वर्ष तक

सीले मानव विकास का अध्ययन केवल तीन अवस्थाओं में करने के पक्ष में हैं -

- I. शैशवावस्था - 1 वर्ष से 5 वर्ष तक
- II बाल्यावस्था - 5 वर्ष से 12 वर्ष तक
- III किशोरावस्था - 12 वर्ष से 18 वर्ष तक

विकास को प्रभावित करने वाले कारक

विकास को प्रभावित करने वाले कारक
या तत्वों को निम्न दो श्रेणियों में
विभाजित किया जा सकता है :-

10) आनुवंशिक कारक :- आनुवंशिक कारकों के
अंतर्गत जन्म से

प्राप्त शारीरिक संरचना, आकार, प्रकार आदि तथा
बुद्धि आदि बालकों के विकास का महत्वपूर्ण
प्रभाव डालते हैं।

• पीटरसन ने कहा है - "किसी व्यक्ति को माता
- पिता के माध्यम से उसके पूर्वजों के गुण
प्राप्त होते हैं। उसे आनुवंशिकता मिलती है।"

(i) लिंग भेद :- शारीरिक और मानसिक विकास
पर लिंग भेद का प्रभाव
स्पष्ट दिखाई पड़ता है। लड़कियों का शारीरिक
विकास लड़कों की अपेक्षा शीघ्र होता है। बालकों
के शीघ्र परिपक्व हो जाते हैं।

(ii) बुद्धि :- बालकों के विकास को प्रभावित करने
वाले कारकों में बुद्धि का अर
महत्वपूर्ण स्थान है। अनुभव के आधार पर
यह पाया गया है कि अधिक बुद्धि वाले
बालकों का विकास तीव्र गति से होता है।

2) वातावरण :- आनुवंशिक कारकों के बाद वातावरण ही सम्बन्धित अनेक कारक व्याप्त है विकास में एहयुक्त होते हैं। जहाँ तक शारीरिक विकास की बात है, उस पर वातावरण का बहुत कम प्रभाव पड़ता है,

(i) विद्यालय :- बालक के विकास में विद्यालय के वातावरण अह्मत्वापक तथा शिक्षा के साधनों की निर्णायक भूमिका होता है। जिन विद्यालयों में कक्षा - शिक्षण के सवाय - सवाय पाठ्य-सहायी क्रियाओं का आयोजन किया जाता है।

(ii) पारिवारिक पृष्ठभूमि :- पारिवारिक वातावरण और परिवार में स्वभाव, बालक के विकास की काफी प्रभावित करता है। यदि परिवार आर्थिक रूप से सम्पन्न और खुले विचारों वाला है।

(iii) समाज और संस्कृति :- विकास पर समाज और संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है। बालक के विकास पर उसके समाज तथा भौतिक एवं अभौतिक दोनों प्रकार की संस्कृतियों का प्रभाव पड़ता है।

आभिवृद्धि व विकास के सिद्धान्त

आभिवृद्धि तथा अन्य के अनुसार - जब बालक, विकास की एक अवस्था से दूसरी में प्रवेश करता है, तब हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। अध्ययनों ने सिद्ध कर दिया है कि ये परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं। इन्हीं को विकास के सिद्धांत कहा जाता है। हम अधोलिखित पंक्तियों में इनका वर्णन कर रहे हैं -

1) निरन्तर विकास का सिद्धांत :- इस सिद्धांत के अनुसार, विकास की प्रक्रिया अपिराम गति से निरन्तर चलती रहती है। पर यह गति कभी तीव्र और कभी मन्द होती है, उदाहरणार्थ, प्रथम तीन वर्षों में बालक के विकास की प्रक्रिया बहुत तीव्र रहती है। और उसके बाद मन्द पड़ जाती है।

इसी प्रकार शरीर के कुछ भागों का विकास तीव्र गति से और

और कुछ का गन्ध गति से होता है।
पर विकास की प्रक्रिया ०-चलती अवस्था
रहती है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति
में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता

- स्किनर के शब्दों में विकास - प्रक्रियाओं
की निरन्तरता का सिद्धान्त केवल
इस तथ्य पर बल देता है कि
शक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन
नहीं होता है।"

2.) विकास की विभिन्न गति का सिद्धान्त

- उगलर एवं हालैंड ने इस सिद्धान्त
का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है -
विभिन्न व्यक्तियों की विकास की गति
में विभिन्नता होती है। और यह
विभिन्नता विकास के सम्पूर्ण काल
में व्यापक बनी रहती है।

③ विकास क्रम का सिद्धान्त : इस सिद्धान्त
के अनुसार
गणक का बालक का गणक और भाषा
सम्बन्धि आदि विकास एक निश्चित
क्रम में होता है।

बाल, जीभ, पायों तथा आँखों की परिधियों में यह बात महसूस की जा सकती है, उदा. 31 से 36 माह का बालक घूमने की उल्टा 60 माह का बालक सीढ़ी और 72 माह का फिर उल्टा बनता है।

(4) विकास दिशा का सिद्धांत: इस सिद्धांत

के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। बच्चा अपने जीवन के प्रथम सालों में बालक केवल अपने सिर को उठा पाता है।

- 9 माह में वह अपने नेत्रों की गति पर नियंत्रण करना सीख जाता है।
- 6 माह में वह अपने हाथों की गति पर अधिकार कर लेता है।
- 9 माह में वह चलना शुरू करता है।
- 12 माह में वह बैठकर खिलता है। और खिलते खिलते चलने लगता है।
- एक वर्ष में वह अपने पैरों में नियंत्रण करता है।

⑤ एकीकरण का सिद्धान्त :- इस सिद्धान्त के अनुसार बालक पहले सम्पूर्ण अंग को और फिर अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। उसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है।

⑥ परस्पर सम्बन्ध का सिद्धान्त :- इस सिद्धान्त के अनुसार बालक के शारीरिक, मानसिक, वैवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर सम्बन्ध होता है।
 उदाहरण - गैरिखन तथा अन्य का कुप्यन है।
 शरीर - सम्बन्धी दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देता है।

⑦ वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धान्त

इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक बालक और बालिका के विकास का अपना स्वयं स्वरूप होता है। इस स्वरूप में वैयक्तिक विभिन्नताएँ पायी जाती हैं।

⑧ समान प्रतिमान का सिद्धांत :-

इस सिद्धांत का अर्थ है स्पष्ट करते हुए हरलॉक ने लिखा है - प्रत्येक जाति, चाहे वह पशुजाति हो या मानवजाति, अपनी जाति के अनुसृष्ट विभास के प्रतिमान का अनुसरण करती है।

उदा० :- संघार के प्रत्येक भाग में मानव जाति के शिशुओं के विकास का प्रतिमान एक ही है और उसमें किसी प्रकार का अन्तर होना संभव नहीं है।

⑨ सामान्य व विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत :-

इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सामान्य प्रतिक्रियाओं की ओर होता है।

उदा० :- नवजात शिशु अपने शरीर के किसी एक अंग का संन्यास करने से पूर्व अपने शरीर का संन्यास करना है।

⑩ वंशानुक्रम व वातावरण की अंतः क्रिया का सिद्धांत :- इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास

न केवल वंशानुक्रम के कारण और न

विकास के कारण, बलिकु होना की अन्तः
क्रिया के कारण होता है।

- विकास के आधार पर यह सिद्ध किया
जा सकता है कि वंशानुक्रम उन
सीमाओं को निश्चित करता है। जिनके
आगे बालक का विकास नहीं किया
जा सकता है।

इस प्रकार से कहा जा
सकता है कि विकास में अभिवृद्धि की
अपेक्षा पूर्ण रूप से जुड़ी हुई है। विकास
और वृद्धि दोनों एक दूसरे से जुड़े
हुए हैं। विकास शरीर की गुणात्मक
परिवर्तन को कहा जाता है।

विकास एक निश्चित क्रम में होता है।
और कभी रुकता नहीं है बल्कि
जीवन भर चलता रहता है।
विकास की विभिन्न अवस्थाओं
होती हैं। तथा प्रत्येक अवस्था की
अपनी अलग विशेषता होती है।
इसमें बालक का शारीरिक, मानसिक,
संवेगात्मक, व सामाजिक विकास निरन्तर
होता रहता है।

COURSE 2

CONTEMPORARY INDIA AND
EDUCATION

आभार ज्ञापन

शिक्षा मुख्य रूप से द्विपक्षीय प्रक्रिया है जिसमें सीखना और सीखाना महत्वपूर्ण है। वी० एड० कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक स्तर पर निर्देशन, परामर्श आदि दोनों क्षेत्रों का महत्वपूर्ण स्थान है।

वी० एड० कार्यक्रम के अंतर्गत हमें समस्त व्याख्यातागण का सहयोग मिला। इसमें हमें व्यक्ति में वृद्धि व विकास की जानकारी प्राप्त हुई।

मैं सक्रिय कार्य के लिए सबसे पहले महाविद्यालय भारतीय कॉलेज ऑफ एजुकेशन में समकालिन भारत और शिक्षा के व्याख्याता डॉ० सलमा खातुन के निर्देशन में इस कार्य को पूर्ण किया। जिसके लिए मैं उनके प्रति सहृदय अमारी हूँ।

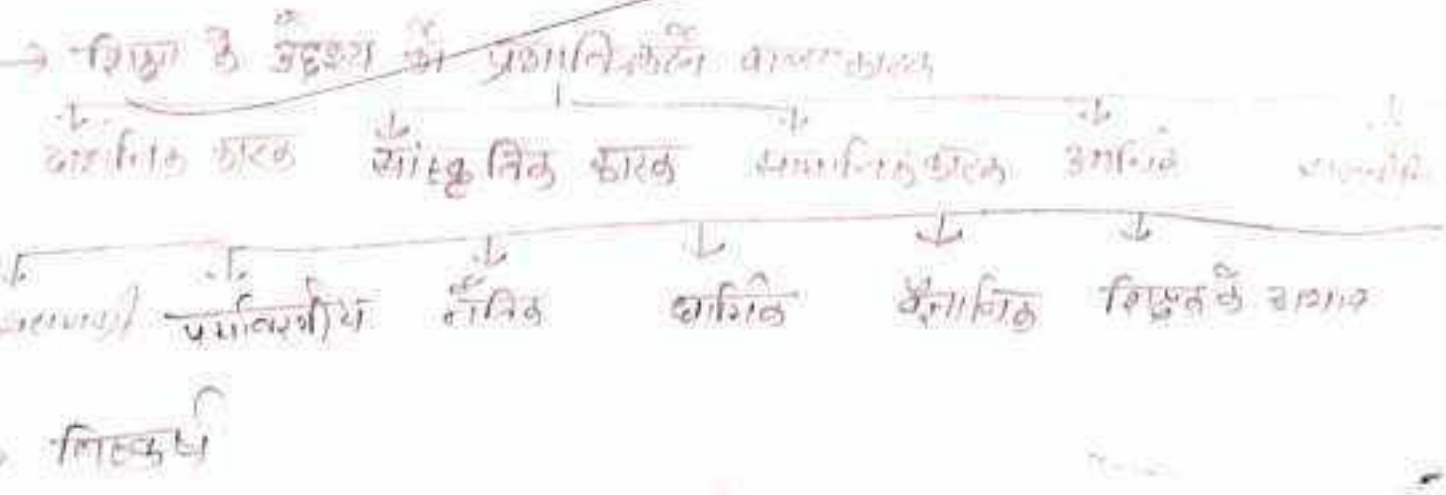
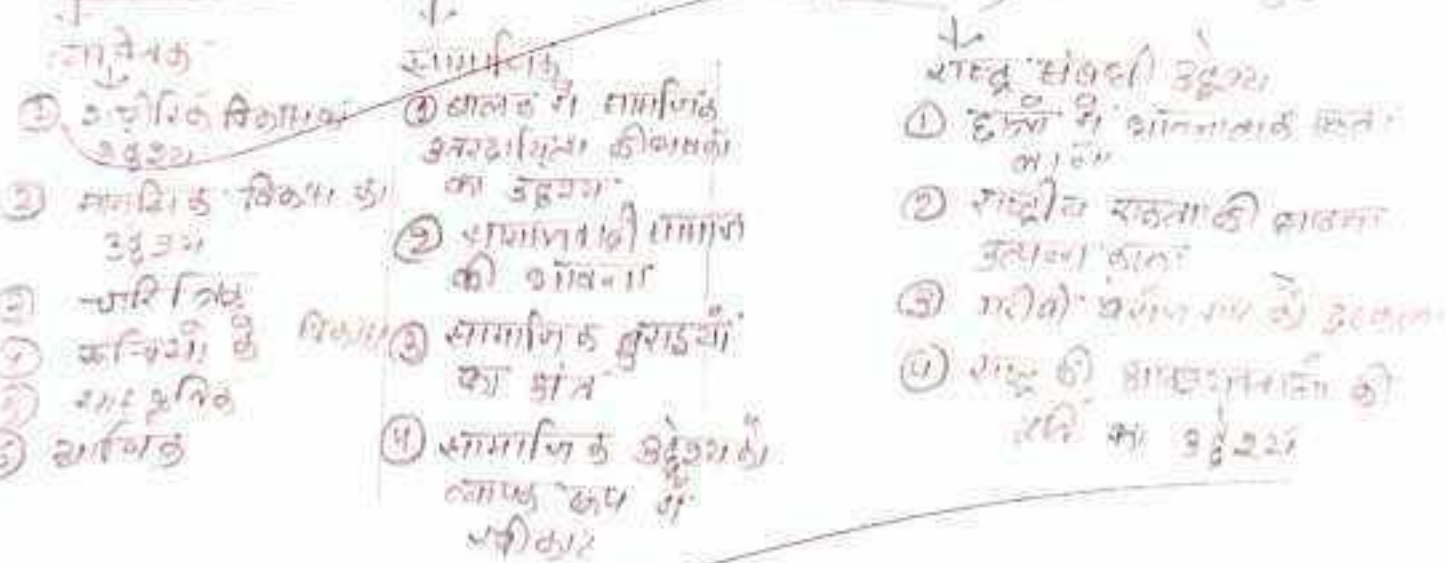
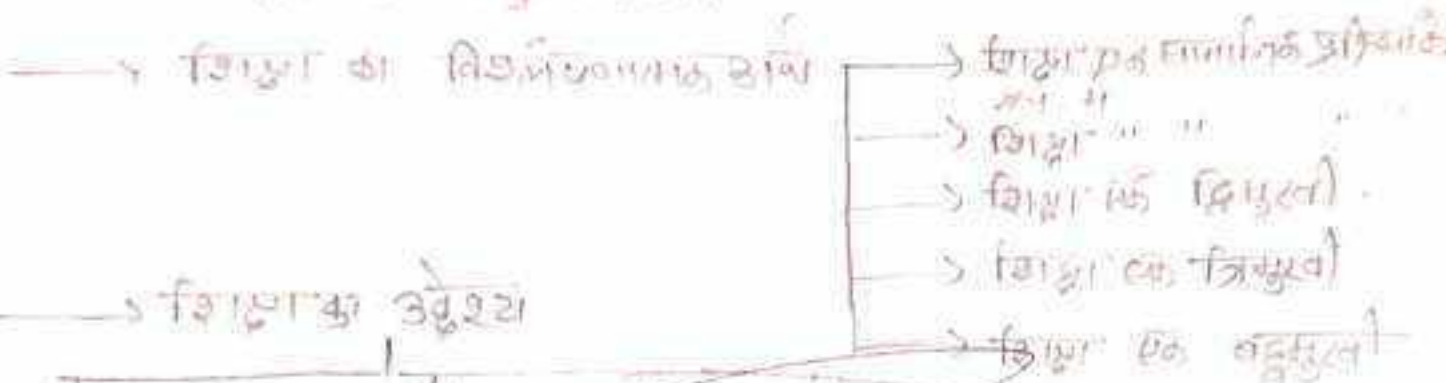
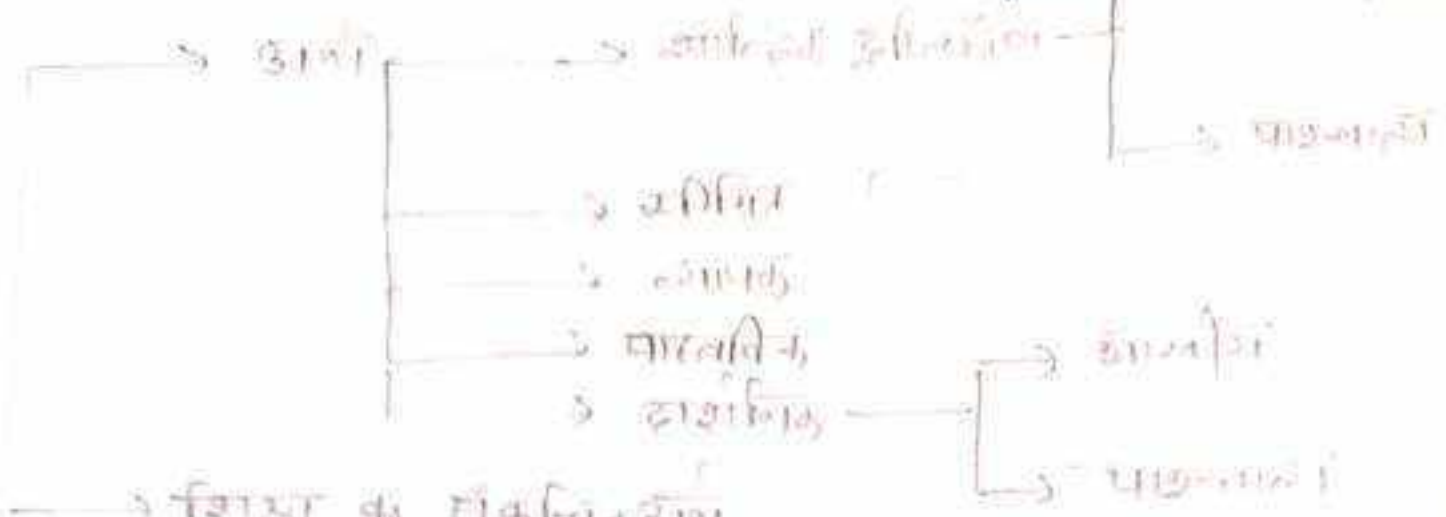
धन्यवाद।

प्रशिक्षु का नाम	:- मधुमिका कुजूर
रोल नं०	:- 10
कक्षा	:- वी० एड० (प्रथम वर्ष)
सत्र	:- 2021-2023

प्रश्न : शिक्षा से आप क्या समझते हैं? शिक्षा के उद्देश्य क्या उसको प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करें?

परिचय :- शिक्षा मानव प्रकृति की सर्वोत्तम रचना है जो अपने साथ कुछ जन्मजात शक्तियाँ लेकर पैदा होता है। शिक्षा के द्वारा मानव की इन जन्मजात शक्तियों का विकास उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। और उसके मध्य, युष्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। यह कार्य मानव के जन्म से ही उसके परिवार द्वारा अनौपचारिक रूप से तत्पश्चात् विद्यालय में और अनौपचारिक रूप से प्राप्त कर लिया जाता है।

विद्यालय के साथ-साथ उर्ध्व परिवार एवं समुदाय में भी कुछ न-कुछ सिखाया जाता रहा है। और सीखने-सिखाने का यह क्रम विद्यालय होने के बाद भी चलता रहता है। और जीवन भर चलता है। अपने वास्तविक अर्थ में किसी समाज में सदैव चलने वाली सीखने-सिखाने की यह प्रक्रिया ही शिक्षा है। इस दृष्टि में आप शिक्षा के विभिन्न अर्थ तथा प्रादिक संकुचित, व्यापक, विश्लेषणात्मक समग्र एवं व्यापक अर्थ से अवगत हो सकेंगे साथ ही इन अर्थ के परिभाषित करने वाले विभिन्न दृष्टिकोण के बारे में जान सकेंगे।



❖ शिक्षा का अर्थ ❖

शिक्षा शब्द हिन्दी भाषा का है तथा हिन्दी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के ही शब्दों से मानी जाती है। एक है शिक्षा धातु तथा दूसरा 'सह' धातु।

• शिक्षा का कार्य है - अनुशासन में रखना 'नियंत्रण'

• शिक्षा का अर्थ है - अनुशासन में रखना 'नियंत्रण' में रखना तथा निर्देश देना

संस्कृत भाषा में एक शब्द और है - पिबु धातु से बना है, जिसका अर्थ 'जानना' और ज्ञान प्राप्त करना।

जानने में मुख्य रूप से दो बातों की अभिवृद्धि किया जाता है -

दृष्टिकोण से समझ सकते हैं - शिक्षा का हम कई

शिक्षा

(i) शारीरिक दृष्टिकोण

(ii) सीमित दृष्टिकोण

(iii) व्यापक दृष्टिकोण

(iv) वास्तविक दृष्टिकोण

(v) दार्शनिक दृष्टिकोण

शारीरिक दृष्टिकोण : शारीरिक दृष्टिकोण को ही भागों में बाँटकर देखा जा सकता है -

शाब्दिक दृष्टिकोण

पश्चात्त्य दृष्टिकोण

भारतीय दृष्टिकोण

पश्चात्त्य दृष्टिकोण :- शिक्षा अंग्रेजी

का हिन्दी रूपान्तरण है। शब्द 'Education' का हिन्दी रूपान्तरण है। 'E' और 'Qu' जहाँ 'E' का अर्थ है 'अंदर' और 'Qu' का अर्थ है 'बाहर' निकालना।

भारतीय दृष्टिकोण :- शिक्षा 'शिक्ष' और 'शास्त्र' शब्दों से बना है। जिसका अर्थ है सीखना और 'सीखाना'।

सीमित दृष्टिकोण :- संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ है स्कूल में शिक्षा। शिक्षण संस्थानों द्वारा प्राप्त की गई अवधि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बालक जो शिक्षण संस्थानों से सीखता है उसे औपचारिक शिक्षा भी कहते हैं।

व्यापक दृष्टिकोण :- व्यापक दृष्टिकोण में शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा को शामिल करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बालक शिक्षण संस्थानों के

अन्य सभी प्रकार के अनुभवों ही मिलता है।
 अगर स्वभाव व्यक्ति विशेष या कार्यक्रम से
 नहीं साँझा था होता है तब वह मुक्त
 प्रक्रिया के रूप में है।

सालक अब जन्म
 लेता है तो वह अवलोक्य शिष्य होता है। उसी
 अवस्था से ही उसकी सीखने की प्रक्रिया शुरू हो
 जाती है। उसकी प्रथम सीख उसकी माँ की गोद
 से प्रारंभ हो जाती है।

अनेक विद्वानों ने शिक्षा के
 इस रूप को भी परिभाषित करते हुए अपने
 विचार दिए हैं -

- जे. एच. मैकेन्जी के अनुसार :- "व्यापक दृष्टि
 से शिक्षा जीवन
 पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन के
 प्रत्येक अनुभव के द्वारा हुआ विकास होता है।"
- प्रां. डी. वल के अनुसार - "शिक्षा के व्यापक अर्थ
 में वे सभी प्रभाव
 होते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु
 तक प्रभावित करते हैं।"

• वास्तविक दृष्टिकोण :- शिक्षा के वास्तविक
 अंकुशित तथा
 व्यापक में से किसी एक को स्पष्ट बताना
 ठीक नहीं है। इस प्रकार शिक्षा एक ऐसा

प्रक्रिया है जो व्यक्ति के स्वभाविक गुणों का विकास करता है।

• "ली रेमॉण्ट" शिक्षा के संकुचित तथा व्यापक अर्थ का समन्वय करते हुए ये कहे हैं "शिक्षा मानव जीवन के विकास की वह प्रक्रिया है जो शीशुवास्था से लेकर प्रौढ़वस्था तक चलती रहती है। अर्थात् अपने आपकी आवश्यकतानुसार कौतिक सामाजिक तथा अध्यात्मिक वातावरण के अनुरूप बना होता है।"

दार्शनिक दृष्टिकोण

दार्शनिक दृष्टिकोण को दो भागों में बांटा गया है।

दार्शनिक दृष्टिकोण

(i) पश्चात्य दृष्टिकोण

(ii) भारतीय दृष्टिकोण

(i) पश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार

(a) अरस्तू के अनुसार :- "स्वल्प शरीर में स्वल्प मन का निर्माण ही शिक्षा है।"

(b) प्लेटो के अनुसार :- शिक्षा का अ. कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है जिससे कि वे योग्य हों।

(c) जॉन डीवी के अनुसार :- शिक्षा व्यक्ति की उन

सब धौल्यताओं का विकास है जो उन्हें अपने परिवार पर नियंत्रण रखने वाली मातापिताओं को पूर्ण करने की समर्थ प्रदान करें।

(ii) तात्कालिक विद्वानों के अनुसार

(a) महात्मा गांधी के अनुसार "शिक्षा जो मेरा अग्रणी बालक और मनुष्य के शरीर मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास में है।

(b) अमाजी विवेकानन्द के अनुसार "मनुष्य की अन्तर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त कराने ही शिक्षा है।

(c) रवीन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार "सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचनाएँ नहीं देती बल्कि हमारे जीवन और सम्पूर्ण सृष्टि में वादात्मक स्थापित करती है।

शिक्षा का संकुचित अर्थ

शिक्षा का सबसे प्रचलित रूप ही उसका संकुचित रूप है। जनसाधारण की यह धारणा होती है कि विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा जिसमें सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है, वही शिक्षा है। इसमें पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है, निश्चित शिक्षण विधियाँ होती हैं, पाठ्य-पुस्तकों की निश्चितता और बहुलता होती है और इसमें शिक्षा का स्थान प्रमुख होता है। यह शिक्षा जीवन के कुछ ही वर्षों तक चलती है।

अतः सर्वे पुनर्जीव ज्ञान एवं विकास की ओर अग्रसर हैं। अनेक विद्वानों ने शिक्षा के संकुचित अर्थ प्रस्तावित करते हुए अपनी विचार दिए हैं।

• शिक्षा एक विशेष प्रकार का वातावरण है। जिसका प्रभाव बालक के चित्त, इच्छा, तथा व्यवहार करने की क्षमता पर स्वामी रूप से परिवर्तन के लिए डाला जाता है।
• जे. एच. मैकेन्जी ने शिक्षा के संकुचित अर्थ से स्पष्ट करते हुए कहा है। "संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय हमारी क्षमताओं के विकास और उन्नति के लिए चेतनापूर्वक किए गए प्रयासों से लिया जाता है।"

अर्थ में शिक्षा बालक के सम्पूर्ण चित्त और संकुचित अवकाश या अवसर होती है। इस प्रकार की व्यवस्था से बालक में व्यवहारिक ज्ञान का प्रभाव होता है। यह विषय को स्तब्ध वाद से दूर लेता है। लेकिन इसमें व्यवहारिक कुशलता नहीं आ पाती है। ज्ञान उसके पास मात्र सूचना का रूप ही रह जाता है।

→ * शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ *

विभिन्न विद्वानों ने शिक्षा शब्द को विभिन्न प्रकार से विश्लेषित किया है, जो निम्नलिखित हैं।

- (i) शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में
- (ii) शिक्षा एक जतिशक्ति प्रक्रिया के रूप में
- (iii) शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में
- (iv) शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में
- (v) शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में

(i) शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में :- विद्वानों एवं अनेक सामाजशास्त्रियों का मत है कि

शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सामाजिक अन्तः क्रिया होता है। तो वह एक दूसरे की भाषा विचार और आचरण से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है।

ii) शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में :- यह संघार ही है। तथा मनुष्य के स्वभाव में भी निरन्तर गतिशील गुण विद्यमान हैं। अतः शिक्षा का अन्तः क्रियात्मक स्वरूप है। शिक्षा केवल गतिशील रहकर बालक के देशी, काल और परिस्थिति के अनुसार प्रगति की ओर अग्रसर करती है।

iii) शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में :- शिक्षाशास्त्रियों कि शिक्षा की प्रक्रिया में एक पक्ष का विचार है दूसरा पक्ष प्रभावित होता है। शिक्षा के दो पक्ष होते हैं। प्रथम जो प्रभावित करता है (शिक्षक) और द्वितीय वह जो प्रभावित होता है (शिक्षार्थी)।
 • जॉन सडन के अनुसार शिक्षा एक द्विमुखी व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन हो सके।

iv) शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में :- इसी का विचार की प्रक्रिया में अध्यापक और शिष्यों के बीच अन्तः क्रिया का कोई न कोई आधार आवश्यक होते हैं और वह आधार सामाजिक होता है। क्योंकि बालक का विकास समाज में रहकर ही होता है। शिक्षा के द्वारा निःसंदेह बालक की

जन्मजात शक्तियों का विकास किया जाना चाहिए परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बालक का विकास सामाजिक में रहकर ही सम्भव होता है। अतः उन्होंने शिक्षा प्रक्रिया के तीन आधारभूत स्तंभ बताए हैं।

- (i) शिक्षक
- (ii) बालक
- (iii) पाठ्यक्रम

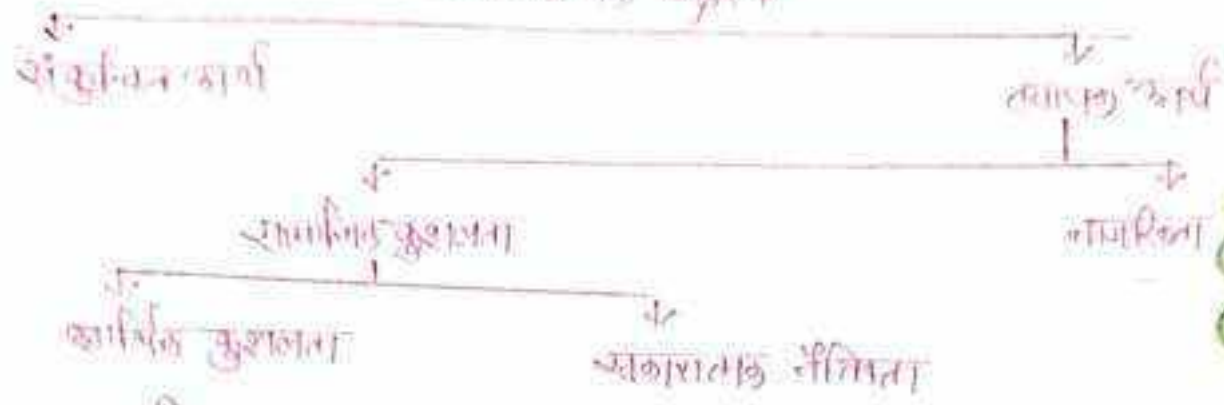
10 शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में :- आधुनिक समय में

शिक्षा का स्वल्प काफी बढ़ा हुआ है। अब शिक्षा को केवल विद्यालय और पाठ्यक्रम तक ही सीमित नहीं किया जा सकता है। सामाजिक, आर्थिक, क्रियाकलापों का भी शैक्षिक महत्व है। विद्यालय के अतिरिक्त अन्य औपचारिक तथा अनौपचारिक साधनों को भी शिक्षा का साधन माना जाता है।

शिक्षा का उद्देश्य

वैयक्तिक उद्देश्य	सामाजिक उद्देश्य	राष्ट्र-सेवा उद्देश्य
(i) शारीरिक विकास का उद्देश्य	(i) बालक में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना	(i) दुर्गति में आतंकात्मक रहना
(ii) मानसिक/बौद्धिक विकास का उद्देश्य	(ii) सामाजिकता की सामाजिक स्थापना करना	(ii) राष्ट्रपि एकता की भावना उत्पन्न करना
(iii) चारित्रिक विकास का उद्देश्य	(iii) सामाजिक दुराच्यों को दूर करना	(iii) गरीबी वैरोजगरी को दूर करना
(iv) शैक्षिक विकास का उद्देश्य	(iv) सामाजिक उद्देश्य को व्याप्त रूप में स्वीकारना	(iv) राष्ट्र की आवश्यकताओं एवं आदर्शों की पूर्ति का उद्देश्य
(v) आर्थिक सम्पत्ति का विकास		

सामाजिक उद्देश्य



1) वैयक्तिक उद्देश्य :- शारीरिक विकास शिक्षा का सार्वजनिक सार्वभौमिक एवं सार्वजनिक उद्देश्य है। शरीर सब धर्मों का साधन है। शैक्षिक उपलब्धियाँ व या अध्यात्मिक उपलब्धियाँ, सबकी प्राप्ति शरीर से ही की जाती है।

2) मानसिक/बौद्धिक विकास का उद्देश्य :- बालक का मानसिक विकास करना शिक्षा का प्रमुख दायित्व है। मानसिक दृष्टि से परिपक्व व्यक्ति अपनी राजनीति, आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सकता है।

आज शिक्षा के क्षेत्र में मानसिक विकास से तात्पर्य बच्चों को विचारों के आकृत-प्रदान हेतु भाषा का ज्ञान कराने एवं वस्तु जगत् एवं अध्यात्म जगत् को जानने के लिए विविध विषयों का ज्ञान कराने, मानसिक शक्तियों समृद्धि, निरीक्षण, कल्पना, तर्क, नियंत्रण, मनन सामान्यीकरण, निर्णय आदि का विकास करने, उम्मीद बुद्धि को तर्क आदि की सहायता से मध्य-अधत्य में भेद करने में प्रशिक्षण करने, ऊर्ध्व विविध शक्ति का विकास करने और उनके मानसिक शैली से बचने तथा मानसिक धैर्य (अभय, आशा, आत्मविश्वास) को उत्पन्न करने से लिया जाता है।

3) चारित्रिक विकास का उद्देश्य :- बालकों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। प्रत्येक सामाज्य के अपने मान्यार विचार, सम्बन्धी कुछ विद्वहंत और नियम होते हैं। इस नियमों का पालन करना नैतिकता है। और इन नियमों के पालन हेतु चारित्रिक शक्ति की आवश्यकता होती है।

- हरवर्त औ एक शिक्षा शास्त्री हैं उनका कहना है कि नैतिक चरित्र के निर्माण को ही शिक्षा मानते हैं।

4) अच्छी रूचियों का विकास :- प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री हरवर्त रूचियाँ ही चरित्र का निर्धारण करती हैं। अनुसार शिक्षा का एक उद्देश्य बालक के अन्दर अच्छी रूचियों का विकास करना भी होना चाहिए। ताकि वह अपना चारित्रिक उत्थान सुनिश्चित कर सके।

5) सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य :- आज हमें भारतीय संस्कृति को सिर्फ जीवित रखने का ही दायित्व नहीं निभाना है बल्कि संस्कृति का विकास भी करना है और उससे प्राप्त आस्था रखें एवं अपने व्यक्तित्व को उस संस्कृति के अनुकूल ढालें।

6) आर्थिक दृढता का विकास :- शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक में आर्थिक दृढता का विकास करना भी होना चाहिए जिससे वह अपनी व अपने ऊपर निर्भर व्यक्तियों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके।

→ शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य →

शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य निम्नलिखित प्रकार हैं:-

(1) बालक में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना :-

बालक सामाजिक का एक अभिन्न अंग है और वह अपनी छौली के लेंचर बड़ी आवश्यकताओं के लिए सामाजिक पर निर्भर करता है। यह प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व है कि वह सामाजिक में सम्पन्नता लाने का प्रयास करे।

2) समाजवादी समाज की स्थापना करना :-

भारतीय संविधान में यह स्पष्टतः कहा गया है कि भारतवर्ष एक समाजवादी व कल्याणकारी राज्य है, जिसमें प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता, समानता, आतृत्व एवं सुरक्षा का विशेष महत्व है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ऐसी शिक्षा की व्यवस्था रखनी होगी।

3) सामाजिक बुराइयों का अन्त करना :-

भारत में सुदृढ़ एवं अंधविश्वास के कारण अनेक समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं जिनमें प्रमुख हैं बाल-विवाह, पर्दा प्रथा, विधवा पुनर्विवाह निषेध, स्त्रियों का नीचा स्तर आदि।

अतः उचित शिक्षा के उद्देश्यों द्वारा समाज का पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता है। ताकि ये बुराइयाँ समाप्त हो जाएँ।

4) सामाजिक उद्देश्य का व्यापक रूप स्वीकारना :-

शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य से ही समाजवाद का जन्म हुआ। हमें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य को संकुचित अर्थों अर्थात् कट्टर राष्ट्र समाजवाद के रूप में न

लेकर व्यापक कार्य द्वारा प्रजातन्त्रात्मक सामाजवाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए

* राष्ट्र सार्वभौम उद्देश्य *

1) राष्ट्र में भावनात्मक एकता लाना :- यदि हमें राष्ट्र में विनाशकारी प्रवृत्तियों से बचाना चाहते हैं तो इसके बहस्यों को हमें एकता के सूत्र में बाँधना होगा और एकता के सूत्र में बाँधने का सबसे सशक्त माध्यम शिक्षा है। और शिक्षा ही बालकों के अंदर ^{में} के स्वान पर हम की भावना जागृत करती है।

2) राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न करना :- राष्ट्र के पूर्ण निर्माण के लिए राष्ट्रीय एकता का होना आवश्यक है। एक की अभाव में राष्ट्र दुर्बल प्रभावहीन हो जाता है। अतः राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए शिक्षा द्वारा प्रत्येक नागरिक में देश-प्रेम की भावना विद्यमान करना होगा।

शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करने वाला कारक

1) इतिहासिक कारक :- शिक्षा के उद्देश्य को आवश्यकानुसार परिवर्तित किया जा रहा है। जैसे बौद्ध काल में भगवान् बुद्ध के शिक्षा को प्रचार दिया जा रहा है। और उनके शिक्षा से सम्राट अशोक और कनिष्क प्रभावित हुए। और उस समय शिक्षा का उद्देश्य

बौद्ध दर्शन को प्रभावित करना था। और हिन्दू साम्राज्य में फैली कुरीतियाँ, झूठा विश्वास, दुष्का-दुष्ट की आकांक्षा को दूर करना था। और गहनकाल में देखा जाए तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रसार करना था। और आधुनिक काल में शिक्षा का उद्देश्य देखा जाए तो अभी सिद्धित करना था।

अतः कहा जा सकता है कि जिस काल में जैसे दार्शनिक आए उन्होंने जिस प्रकार का उद्देश्य दिया। उसी का प्रभाव शिक्षा पर पड़ा।

सांस्कृतिक कारक :- प्रत्येक साम्राज्य का अपना सीति रिवाज तथा संस्कृति होती है। लेकिन कभी के दौर में देखा जाए तो कभी के पीढ़ी अपने सीति रिवाज को भूलने जा रहे हैं। अपने संस्कृति को छोड़ने जा रहे हैं। इसलिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होगा कि नई पीढ़ी को अपने पिछले संस्कृति तथा सीति रिवाज और जीवन शैली में ढालना है। और अपनी जीवन शैली के प्रति आस्था रखना और व्यवहार बना के रखना जरूरी हो गया है।

सामाजिक कारक :- सामाजिक भी साम्राज्य का अपना सामाजिक व्यवस्था होता है। जैसे प्राचीन काल में जाति व्यवस्था का बोलबाला था। साम्राज्य को कई वर्गों में बांटा गया था जैसे - ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जिनमें ब्राह्मण को साम्राज्य में सर्वोच्च माना जाता था। और इसलिए शिक्षा प्राप्ति का अधिकार छोटे वर्गों को नहीं था। वे शिक्षा से वंचित थे। इसलिए शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य कहा कि भेदभाव रहित साम्राज्य का निर्माण करना ताकि साम्राज्य के सभी लोग शिक्षा प्राप्त कर सकें।

4.

वर्तमान समय में काम समाप्ति का बहुत अधिक महत्व है। शिक्षा का उद्देश्य को प्रभावित करने में आर्थिक कारक का महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि आज के दौर में बड़े-बड़े स्कूलों में आशुत पैसे की मांग होती है जिसके कारण से गरीब लोग अपने बच्चों का नामांकन नहीं करा पाते हैं और अना बच्चा शिक्षा से वंचित हो जाता है। और वर्तमान समय में वैश्वीकरण बढ़ती हुई प्रतियोगिता ने आर्थिक विताए बढ़ा दी हैं। इससे प्रभावित होकर अब शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नौकरी और व्यवसाय की शिक्षा देना रह गया है।

5) राजनीतिक कारक :- किसी भी देश या समाज के विकास में उस देश का राजनीतिक स्थिति का बहुत बड़ा योगदान रहता है। यदि समाज का शासन तानाशाही रहेगा तो निश्चित ही उस समाज का शिक्षा उद्देश्य तानाशाही प्रवृत्ति होगी। इसलिए शिक्षा के माध्यम से हमें समाज का निर्माण करना है जिससे की व्यक्ति के सर्वांगीन विकास करना है और यह तभी संभव होगी जब समाज के लोगो में राजनीतिक जागरूकता आएगी। वे अपना अधिकार और कर्तव्य को सही ढंग से समझेंगे और समाज के विकास में अपना सम्पूर्ण योगदान देंगे।

6) पर्यावरणीय कारक :- अगर हम पर्यावरण का अध्ययन करें तो देखते हैं कि जंगल कट रहे हैं। बड़े-बड़े कारखाना बनाया जा रहा है। नितने की गुँदगी है उसे नदियों, तालाबों में फेंका जा रहा है और इसके कारण से जल और वायु काफी दुषित होत जा रहे हैं। इसलिए शिक्षा के माध्यम से इन सभी दुषप्रभावों को रोका जाए और पर्यावरण को संतुलन बनाया जा सके। और इसलिये आज के शिक्षा में पर्यावरण शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

ताकि बच्चे अपने जीवन में पर्यावरण के महत्व को समझ सकें। और पर्यावरण संरक्षण का योग प्राप्त करके पर्यावरण को सुरक्षित रखें।

3) नैतिक कारक :- शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करने में नैतिक कारक महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि बालक के मन में पाप-पुण्य, द्यूषा आदि उत्पन्न हो रही हैं तो बालक को नैतिक शिक्षा देकर ही उनका मन में प्रेम की भावना उत्पन्न किया जा सकता है।

4) धार्मिक कारक :- शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करने में धार्मिक कारक का महत्वपूर्ण योगदान है जिस समाज में धार्मिक विचारधारा जिस प्रकार से होगी, वही का शिक्षा व्यवस्था भी उसी के अनुरूप होगी। गुरु धार्मिक समाज अपने धर्म की ईश्वरता की दृष्टि से देखते हैं। और अपना धर्म का प्रचार-प्रसार शिक्षा शिक्षा के माध्यम से ही करते हैं। और शिक्षा का उद्देश्य एवं पाठ्यक्रमों का निर्धारण भी धार्मिक आदर्शों के अनुरूप किया जाता है और धर्मनिष्ठ समाज में धर्म का शिक्षा देना ही प्रमुख उद्देश्य है।

5) वैज्ञानिक तत्त्वज्ञानी कारक :- आज के दौर में देखा जा रहा है कि विज्ञान एक तकनीकी का बहुत अधिक विकास हुआ है। और होते ही आ रही है। इसलिये समय के साथ-साथ समाज तथा मनुष्य की आवश्यकताएँ भी बढ़ रही हैं। तो इनके माँगों एवं जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षा के उद्देश्य में परिवर्तन करना जरूरी है और शिक्षा में वैज्ञानिक सोच के माध्यम से बुरी आदतों को सुधारा जा सके। और तकनीकी के प्रयोग से जीवन आसान बनाया जा सके। विभिन्न क्षेत्रों में नए-नए आविष्कार किए जा सकते हैं। और कम से कम समय में अधिक उत्पादन किया जा सकता है।

शिक्षण को प्रभावित करने में
 शिक्षकों के कल्याण का महत्वपूर्ण
 योगदान है। क्योंकि यदि कोई विद्यालय में शिक्षकों की
 हवा-खातिर बहुत ही कम रहेगी या फिर ना के बराबर
 होगी तो विद्यार्थियों का ज्ञान सीमित रहेगी उन्हें बहुत
 कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं होगा जो समाज के विकास
 के लिए महत्वपूर्ण है। और शिक्षक ही ऐसे मुल हैं।
 जो अपने विद्यार्थियों को सही राह पर चलना
 सिखाते हैं।

1.3 परिवार का योगदान :- बच्चा का प्रथम मुल दुनो
 माता-पिता होते हैं। बच्चों के
 शिक्षा पर घर-परिवार के योगदान का गहरा प्रभाव पड़ता
 है। यदि माता-पिता समझदार हैं तो वे अपने बच्चों को
 शिक्षित कराना जरूरी समझेंगे और बच्चा जब जन्म
 लेता है तो वह अपने परिवार से ही सीखना शुरू
 करता है। और यदि शिक्षित परिवार है तो वह अपने
 भाष-पक्षों के लोगों को भी शिक्षा ग्रहण करने के
 लिए प्रेरित करेगा। ताकि समाज शिक्षित हो सके।
 इसलिए कहा जाता है। एक परिवार से समाज बनता है।
 और समाज से देश। यदि समाज शिक्षित होगा तो
 हमारा देश विकास की ओर बढ़ेगा।

1.4 अधिगम तथा पाठ्य सामग्री का अभाव :- शिक्षा के
 उद्देश्य को
 प्रभावित करने में अधिगम तथा पाठ्य सामग्री का
 अभाव का महत्वपूर्ण स्थान है। अधिगम व्यक्ति
 जन्म से सुरु तक में मनुष्य को भी सीखता है
 और अपने व्यवहारों में परिवर्तन करता है। और
 अधिगम से ही विकास की प्रक्रिया शुरू होती है।
 और मनुष्य सीखता ही अपना उद्देश्य को प्राप्त
 करता है। विद्यार्थी ने पाठ्यसामग्री का अधिक
 प्रभाव पड़ता है। शिक्षक दिन-दिन सामग्री को
 प्रयोग करता है वह शिक्षण सामग्री का सहायक सामग्री

कहलाता है। और पाठ्यसाधनों का उपयोग करके शिक्षक अध्ययन कराते हैं। तो विद्यार्थियों का रुचि और भी अधिक बढ़ जाता है।

निष्कर्ष :- इस तरह से कहा जा सकता है कि शिक्षा मानव प्रकृति की सर्वोत्तम रचना है जो अपने साथ कुछ जन्मजात शक्तियाँ लेकर पैदा होता है। शिक्षा की उत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मानी जाती है। एक है शिक्ष धातु तथा सप्र धातु से बना है। और शिक्षा का परिभाषा भी अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग तरीका से दिया है जैसे-
मनुष्य की अन्तर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है।

COURSE 3

LEARNING AND TEACHING

आभार ज्ञापन

शिक्षा मुख्य रूप से द्विपक्षीय प्रक्रिया है जिसमें सीखने और सीखाना महत्वपूर्ण है। वी० एड० कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक स्तर पर निर्देशन, परामर्श आदि दोनों क्षेत्रों का महत्वपूर्ण स्थान है।

वी० एड० कार्यक्रम के अंतर्गत हमें समस्त व्याख्यातागण का सहयोग मिला। इसमें हमें व्यक्ति से व्यक्ति व विकास की जानकारी प्राप्त हुई।

मैं सक्रिय कार्य के लिए सबसे पहले महाविद्यालय भारतीय कॉलेज ऑफ एजुकेशन में अधिगम एवं शिक्षण के व्याख्यता डॉ० बिनीता चौधरी के निर्देशन में इस कार्य को पूर्ण किया। जिसके लिए मैं उनके प्रति सहृदय अभारी हूँ।

धन्यवाद।

प्रशिक्षु का नाम	:- मधुमिका कुजूर
रोल नं०	:- 10
कक्षा	:- वी० एड० (प्रथम वर्ष)
सत्र	:- 2021-2023

अध्यागम से काप तथा समझते हैं। अध्यागम
के विभिन्न कारकों का वर्णन करें ?

सीरवना या अध्यागम एक बहुत ही व्यापक
एवं महत्वपूर्ण शब्द है। मानव के प्रत्येक
क्षेत्र में सीरवना जन्म से लेकर मृत्यु
पर्यन्त तक पाया जाता है। दैनिक
जीवन में सीरवना के अनेक उदाहरण दिए
जा सकते हैं। सीरवना मनुष्य की एक
जन्मजात प्रकृति है। प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति
अपने जीवन में नए अनुभवों को एकत्र
करता है। ये नवीन अनुभव व्यक्ति के
व्यवहार में वृद्धि तथा संशोधन करते हैं।
इसलिए यह अनुभव तथा इनका उपयोग
ही सीरवना या अध्यागम करना कहलाता है।

सीरवना एक सतत प्रक्रिया
है। यह मनुष्य एवं किसी भी प्राणी की
जन्मजात प्रवृत्ति है। मनुष्य जन्म लेते ही
सीरवना प्रारंभ कर देता है। सीरवना के
कारण हमें बहुत कुछ परिवर्तन दिखाई देने
लगते हैं। जैसे वह पचा, कोन, कैसे प्रसन्न
पहुँचने लगते हैं। सीरवना के कई उदाहरण
जैसे :- बालक किसी झलती पत्तु को छूने का
प्रयास करता है और छूने के बाद अनुभूति
से वह यह निष्कर्ष निकालता है कि झलती
हुई पत्तु को छूना नहीं चाहिए।

दूसरा उदाहरण - यदि बच्चा टाईफल नही चलाता
जानता है तो वह बार-बार प्रयास

प्रमाण करता है और अंततः वह सीख जाता है।

समुदाय अपने जीवन के प्रारंभ से लेकर अंत तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने कुछ अनुवांछित विशेषताएँ लेकर जन्म लेता है। इस विशेषताओं में बुद्धि एक ऐसी विशेषता है जो उसे अपने चारों ओर फैले वातावरण के साथ अंतः क्रियाएँ करते हुए उसकी समस्त क्रियाएँ और व्यवहारों में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करती है।

अधिगम का अर्थ

अधिगम या सीखना एक बहुत ही सामान्य और आम प्रचलित प्रक्रिया है। जन्म के तुरंत बाद से ही व्यक्ति सीखना प्रारंभ कर देता है। और फिर जीवनपर्यन्त कुछ न कुछ सीखता ही रहता है।

सामान्य अर्थ में 'सीखना' व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। परंतु सभी तरह के व्यवहारों में हुए परिवर्तन को सीखना या अधिगम नहीं कहा जा सकता।

सामान्य अर्थ होता है सीखना का विभिन्न विषयों का

ज्ञान प्राप्त करना और विभिन्न क्रियाओं का प्रशिक्षण प्राप्त करना।

लेकिन मनों विज्ञान में इसे कुछ ठीक प्रकार में परिभाषित एवं स्पष्ट किया गया है।

मनोविज्ञान में सीखना का दो अर्थ

↓
प्रक्रिया के अर्थ के रूप में

↓
परिणाम के अर्थ के रूप में

• सीखने का अर्थ इस प्रक्रिया के रूप में किया जाता है जिससे द्वारा नए-नए विषयों एवं क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करना है।

• नए नए विषयों में एक क्रियाओं के ज्ञान के फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं।

• मनोविज्ञानिक व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं।

आधिगम्य का प्रकृति

• सीखना एक प्रक्रिया है। सीखने के फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है।

- आधिगम व्यवहार का यौगन है।
- आधिगम अर्थात् तत्वा अनुभव पर निर्भर करता है।
- सीखना यह ज्ञान क्रिया गती है।
- रुचि, निपुणता, गंभीरता आदि सीखने की क्रिया की उपज है।

आधिगम का परिवर्तन

- विज्ञान के अनुसार : सीखना स्वतन्त्र अतरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है।
- वृद्धार्थ के अनुसार : नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं के प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने है।
- पीटर के अन्य के अनुसार : अध्यापक द्वारा व्यवहार में परिवर्तन का ही आधिगम या सीखना है।
- गैरी के अनुसार : अध्यापक द्वारा प्रशिक्षण की प्रक्रिया

— 5. विद्यया ऽपि ज्ञानं प्राप्नुते

— 7 —

→ 3damp era viševno

→ ଅନୁପ୍ରାସ ବା ପଦ୍ୟ

Verfassen Sie

Linear

2505

1220

— 5. $\alpha \cap (\alpha \cup \mu \cap \beta) \cap \beta = \alpha \cap \beta$

→ 3.11.2017, 3.11.2017, 3.11.2017

[illegible]

→ पार्श्वीय तानाई

→ gfac:

2. गोसायनी-की ईश्वर

परिपक्वता

अथवा, च पालेन,

Part 8

$\rightarrow$ তখন তাই

→ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ at $5-6$

Page 21 of 21

↓
अपराध की
संज्ञा, 1968

L. 5110a 21.11.20

2019/02/24 23:00

2. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

2014/11/10

1875

आधिगम का विशेषताएँ

- सीखना परियोजना है।
व्यक्ति अपने और दूसरों के अनुभवों से सीखता है।
- सीखना विकास है।

- सीखना उद्देश्यपूर्ण है।

- सीखना विवेकपूर्ण है।

- सीखना खोज करना है।

- सीखना विकास है:- व्यक्ति अपने दैनिक क्रियाओं और अनुभवों द्वारा कुछ न कुछ सीखता है और उसे उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता है।

- सीखना उद्देश्यपूर्ण है। सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। उद्देश्य जितना अधिक प्रबल होता है, सीखने की क्रिया उतनी ही अधिक तीव्र होती है।

- सीखना विवेकपूर्ण है। :- सीखने का कार्य केवल तब तक ही होता है जब तक कि सीखने का विवेकपूर्ण कार्य है।

अधिगम के विभिन्न कारक

अधिगम की प्रक्रिया उन कारकों से प्रभावित होती सकती है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं -

1.) शारीरिक स्वास्थ्य :- अधिकांश यह पाया जाता है कि जो बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं वे जल्दी सीखते हैं और जल्दी भुक्तियाँ करते हैं। शारीरिक रूप से अस्वास्थ्य बालक बालक कम "कच्चा" शिक्षण के समय अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, कच्चा कार्य और गृह कार्य में रुचि नहीं लेते हैं।

2.) मानसिक स्वास्थ्य :- मन के अस्वस्थ होने पर कुछ भी करने या सीखने में शीघ्र ही बाधा और भ्रान्ति उत्पन्न हो जाती है। जिद्दी सीखने की प्रक्रिया रुक आती शिथिल हो जाती है।

3.) बुद्धि :- सीखना बहुत कुछ सीखने वाले की बुद्धि क्षमता पर निर्भर करता है। तीव्र बुद्धि वाले बालक कम बुद्धि वाले बालक की अपेक्षा शीघ्र सीख लेते हैं। विचार, कल्पना, तर्क, निष्कर्ष निर्णय शक्ति सभी बुद्धि से सम्बन्धित

सम्बन्धित हैं और अधिगम में इनकी विशेष भूमिका होती है।

4) सीरवर्ण की शक्ति :- यदि विद्यार्थी में सीरवर्ण की शक्ति है तो नवीन ज्ञान उसे सरलता से स्वीकृत हो जा सकता है। यदि विद्यार्थी सीरवर्ण के लिए तत्पर नहीं है तो अध्यापक के सम्मुख बहुत गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जाती है।

5) परिपक्वता :- अधिगम पर परिपक्वता का काफी प्रभाव पड़ता है। शारीरिक और मानसिक दृष्टि से परिपक्व विद्यार्थी नयी विषय सामग्री को सीरवर्ण के लिए सदैव तत्पर एवं उत्सुक रहते हैं।

अध्यापक से सम्बन्धित कारक

1) अध्यापक का व्यवहार :- अधिगम प्रक्रिया में अध्यापक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अध्यापक के आचार-विचार और व्यवहार का बालक पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। विभिन्न शिक्षाशास्त्रियों ने अध्यापक को एक पदा-प्रदर्शक, माली तथा कलाकार की संज्ञा दी है।

सम्बन्धित हैं और अधिगम में इनकी विशेष भूमिका होती है।

4) सीरवर्ग की शक्ति :- यदि विद्यार्थी में सीरवर्ग की शक्ति है तो नवीन ज्ञान उसे सरलता से स्वीकार कर सकता है। यदि विद्यार्थी सीरवर्ग के लिए तत्पर नहीं है तो अध्यापक के सम्मुख बहुत गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जाती है।

5) परिपक्वता :- अधिगम पर परिपक्वता का काफी प्रभाव पड़ता है। शारीरिक और मानसिक दृष्टि से परिपक्व विद्यार्थी नयी विषय सामग्री को सीरवर्ग के लिए सदैव तत्पर एवं उत्सुक रहते हैं।

अध्यापक से सम्बन्धित कारक

1) अध्यापक का व्यवहार :- अधिगम प्रक्रिया में अध्यापक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अध्यापक के आचार-विचार और व्यवहार का बालक पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। विभिन्न शिक्षाशास्त्रियों ने अध्यापक को एक पक्का प्रदर्शक, माली तथा कलाकार की पंजा दी है।

2) शिक्षण विधि :- शिक्षण विधि का सीधा प्रक्रिया से है। यानी बालक एक सी विधि से नहीं सीखता है। शिक्षण विधि जितनी अधिक प्रभावशाली तथा वैज्ञानिक होगी। उतनी ही सीखने के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। जैसे गीत, निरीक्षण द्वारा सीखना, प्रयोग द्वारा सीखना, खेल विधि आदि का अपना अलग-अलग महत्व है।

3) सीखने की इच्छा :- जिन् अह्यापक में सीखने की इच्छा होती है। यही सफलतापूर्वक बालक को सीखा पाते हैं। इच्छा न रखने वाले व्यक्ति सीखने के लिए विविध प्रयास नहीं करते। वे विद्यार्थियों में सीखने की रुचि और जिज्ञासा जाग्रत नहीं कर सकते।

4) विषय का ज्ञान :- अह्यापक का किसी विषय का अनुभव तथा योग्यता आदि सीखने पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। यदि अह्यापक को अपने विषय का ज्ञान नहीं है तो वे विद्यार्थी को सीखने के लिए उत्साहित नहीं कर सकेंगे। यदि अह्यापक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान है तो वह आत्मविश्वास के साथ विद्यार्थियों

को नया ज्ञान सीखने के लिए प्रेरित कर सकता है।

विषय-वस्तु से सम्बंधित कारक

1) विषय-वस्तु की प्रकृति :- विषय-वस्तु का स्वरूप भी अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। कठिन, क्लेश एवं अरुचिकर विषय-वस्तु की अपेक्षा सरल एवं रोचक विषय-वस्तु अच्छी सीख ली जाती है। अतः विषय-वस्तु का प्रकृति बालकों की मानसिक योग्यता एवं परिपक्वता के अनुकूल होनी चाहिए।

2) विभिन्न विषयों में कठिनाई स्तर :- विभिन्न विषयों में कठिनाई स्तर भिन्न होता है। एक विषय में बच्चा बहुत अच्छा सीखता है। जबकि किसी अन्य विषय में उसके सीखने की गति बहुत धीमी हो सकती है।

3) जीवन से संबंधित उदाहरण :- विषय-वस्तु में यदि उदाहरण दिये हैं जो बालक के जीवन से सम्बंधित है। बालक उनसे आसानी से आसक्ति पशुनित है। उसे उन्हें याद करने में सरलता होती है और वे अधिक समय

साक्ष्य रहित हैं।

4) पूर्व अधिगम :- बालक किसी विषय को कितनी आरक्षी तरह से जीखता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह पहले क्या जीख चुका है। नवीन अधिगम की प्रक्रिया शून्य से प्रारंभ नहीं होती है बल्कि बालक द्वारा पूर्व अर्जित ज्ञान से प्रारंभ होती है। इसलिए बालक का ज्ञान ही आधारभूत जितनी साक्ष्य तथा व्यापक होती है, उसके ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया उतनी ही अधिक सुव्याप्त होगा से चलती है।

विषय-वस्तु से सम्बन्धित कारकों में अधिगम अनुभवों का आयोजन, विषय वस्तु का आकार, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का क्रम, भाषा, विषय-वस्तु की उद्देश्यपूर्णता आदि भी अधिगम को प्रभावित करते हैं।

वातावरण से सम्बन्धित कारक

4) शैक्षिक वातावरण :- अधिगम के लिए अनुकूल वातावरण का होना आवश्यक

हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में सीखने की प्रक्रिया
हीन प्रकार से सम्पन्न नहीं हो सकती है।
पढ़ने के लिए उचित शैक्षिक वातावरण, जैसे-
अच्छा वायु एवं प्रकाश, सफाई तथा सौख्य
आदि की व्यवस्था भी सीखने पर प्रभाव
डालती है।

2) पारिवारिक वातावरण :- बालक के सीखने
में उनके परिवार
की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिन परिवारों
में शांति और सौहार्द का वातावरण होता है,
बालक शीघ्र सीखने में सक्षम होते हैं।
कलहपूर्ण वातावरण अधिगम में बाधक होता है।

3) सामाजिक एवं संवैगात्मक वातावरण :- सीखने
के समय
जिस जिस प्रकार का सामाजिक एवं संवैगात्मक
वातावरण शिक्षण-अधिगम कार्य को ठीक प्रकार
से सम्पन्न करने के लिए कक्षा, विद्यालय
तथा अन्य सीखने की परिस्थितियों में प्राप्त
होगा उतनी ही अच्छी आपसी सम्बन्धों में
मधुरता पाई जाती है तथा अन्य प्रक्रिया
होने के अवसर ज्यादा प्राप्त होते हैं,
शिक्षण प्रक्रिया की सफलता की भांति वहाँ
उतनी ही अधिक होती है।

4.) (उचित सामग्री और सुविधाएँ) : जब बालक को उपयुक्त अध्ययन सामग्री और सुविधाएँ प्राप्त होती हैं तो आशाजनक सफलता प्राप्त होती है। इसके विपरीत वे विद्यार्थी, जिन्हें सीखने में सहायक आवश्यक साज-सज्जा, अर्थात् सामग्री और सुविधाएँ (पाठ्य-पुस्तक, लिखने-पढ़ने की अन्य सामग्री पुस्तकालय, प्रयोगशाला सम्बन्धी सुविधाएँ, सहकार्य करने के लिए आवश्यक समय एवं सुविधाएँ आदि) नहीं प्राप्त होती, वे पिछड़ जाते हैं।

अनुद्देशन से सम्बन्धित कारक

- 1) अभ्यास :- सीखने की क्रिया के ऊपर अभ्यास का काफी प्रभाव पड़ता है। किसी कार्य को बार-बार करने से कार्य की गति बढ़ती है तथा त्रुटियाँ कम हो जाती हैं। अभ्यास द्वारा सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है।
- 2) अधिगम विधि :- अध्यापक द्वारा अपनाई गई अधिगम विधि का प्रभाव विद्यार्थी के अधिगम पर पड़ता है। किसी प्रकरण को पढ़ने की एक विधि से सभी बालक प्रभावित नहीं होते हैं यदि कोई अध्यापक अपने विषय को बच्चों के साथ अवैज्ञानिक और असमन्वित तरीके से

बालकों को पढ़ाता है तो बालक उसमें रुचि नहीं लेते हैं। अगर जो अध्यापक बालकों की रुचि जगाने और आवश्यकता के अनुरूप अधिगम विधि का चुनाव करते हैं, बालक उनकी कक्षा में उत्साहित रहते हैं और सीखने में रुचि लेते हैं। कुछ सही कक्षाओं में श्रवण - दृश्य साधनों का प्रयोग करके बालकों की अधिगम में रुचि पैदा की जा सकती है।

3.) परिणाम का ज्ञान :- सीखने के दौरान यदि समय - समय पर सीखने की प्रगति का ज्ञान होता रहता है जिससे वह उन्हें सुधार देता है। अधिगम के परिणाम का ज्ञान पुनर्वसन

4.) नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से सम्बन्धित करना :- नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से सम्बन्धित कर पढ़ने पर बालक शीघ्रता से सीखता है।

उपर्युक्त सभी कारक सामुहिक रूप से बालक के सीखने से प्रभावित करते हैं। अतः जब सम्पूर्ण परिस्थितियों का होगा आवश्यक है जिसमें उपर्युक्त सभी कारक उपस्थित हों।

निष्कर्ष :- इस तरह से कहा जा सकता है कि
 सीखना मनुष्य की जन्मजात प्रकृति
 है। और सीखना एक सतत प्रक्रिया है। जिसमें
 मनुष्य अपने जीवन के नए नए अनुभवों को
 जमा करता है और यही नवीन अनुभव व्यक्ति
 के व्यवहार में प्रदर्शित करता है। सीखने के
 कारण ही बहुत से परिवर्तन दिखाई देने
 लगते हैं। और सीखने के बहुत से
 प्रकार हैं जैसे - जलती हुई वस्तु को नहीं छूना
 - चाहिए क्योंकि ये काफी खतरनाक होता है।
 व्यक्ति का हाथ जल भी सकता है।

अधिगम के बहुत से
 विशेषता भी देखने को मिलता है। और अधिगम
 का परिभाषा है जिसमें अलग-अलग परिभाषा
 दिया गया है जैसे - स्किनर के अनुसार 'सीखना
 उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है'। अर्थात् विभिन्न
 कारक भी हैं और

इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में हमने
 इंटरनेट तथा अलग-अलग लेखकों के पुस्तक से
 प्रयोग किया है।

COURSE 4

LANGUAGE ACROSS THE CURRICULUM (1/2)

आभार ज्ञापन

शिक्षा मुख्य रूप से द्विपक्षीय प्रक्रिया है जिसमें सीखना और सीखाना महत्वपूर्ण है। बी० एड० कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक स्तर पर निर्देशन, परामर्श आदि दोनों क्षेत्रों का महत्वपूर्ण स्थान है।

बी० एड० कार्यक्रम के अंतर्गत हमें समस्त व्याख्यातागण का सहयोग मिला। इसमें हमें व्यक्ति में वृद्धि व विकास की जानकारी प्राप्त हुई।

मैं सक्रिय कार्य के लिए सबसे पहले महाविद्यालय भारतीय कॉलेज ऑफ एजुकेशन में पाठ्यक्रम में भाषा के व्याख्याता डॉ० रिभा कुमारी के निर्देशन में इस कार्य को पूर्ण किया। जिसके लिए मैं उनके प्रति सहृदय अभारी हूँ।

धन्यवाद।

प्रशिक्षु का नाम	:- मधुमिका कुजूर
रोल नं०	:- 10
कक्षा	:- बी० एड० (प्रथम वर्ष)
सत्र	:- 2021-2023

प्रश्न- भाषा किसे कहते हैं ? एक शिष्टिका

पाश्चिमात्यों की पाठ्यक्रम में आंग्रेजिया एवं महत्त्व की विवेचना करें ?

परिचय : भाषा एक सामाजिक सम्पत्ति है जिसका विकास सामाज्य में होता है । भाषा के अर्थ

किया जाता है । अतः यह बहुत सम्पत्ति नहीं है ।

प्रत्येक मानव अपनी भाषा, विचारों एवं अनुभूतियों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है । सम्पूर्ण

जीवनगण्डल में केवल ही भाषा का वर्तन ईश्वर से मिला है । भाषा के कारण ही मनुष्य, मनुष्या

हैं और सभी जीवधारियों में सर्वोत्तम स्थान है । भाषा एक मानवीय कलाकृति है ।

डार्विन जैसे विचारकों का मत है कि भाषा ईश्वरीय

व्यवधान नहीं है बल्कि स्वनिर्गम शब्दों बोलने

से विकसित एवं परिष्कृत होकर आज इस

अवस्था तक पहुँच गयी है । भाषा का विकास और

मानव का विकास का सीधा संबंध है । भाषा को यदि प्रकृति की देन मानते हैं तो यह प्रकृति की सर्वोत्कृष्ट रचना है । भाषा भाषा एवं विचार

की जाननी है ।

भाषा के कारण ही मनुष्य इतना उन्नत शरीर बन पाया है । बुद्धि तथा विचार चिन्तन

शक्ति के कारण ही मनुष्य भाषा का अधिकारी बन सका है ।

मुँह के अंगों की सहायता से विविध प्रकार की स्वनिर्गमों को उच्चारण से उत्पन्न करता है । जिससे अक्षर तथा शब्दों से प्रकट करते हैं ।

मानव मनुष्य की अनुभूतियों को शब्दों भाषा से अभिव्यक्ति करना संभव नहीं है ।

उनकी अभिव्यक्ति के लिए मनुष्य भाषा का ही प्रयोग किया जाता है । लेकिन अधिकतर

व्यक्ति अपनी वेदनाओं की अभिव्यक्ति

प्रकार से भाषा के दो रूप हैं।
भाषा के रूप

शाब्दिक भाषा

अशाब्दिक भाषा

है भाषा का उत्पत्ति का विषय भाषा विज्ञान का क्षेत्र है।

भाषा का अर्थ :-

भाषा शब्द संस्कृत की 'वाच' धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना या कहना। वैसे ही सभी जीवधारियों में बोलने की क्षमता होती है, लेकिन मानव जिस वाणी का बोलता है, विलकुल अन्य सभी जीवों से पूरी तरह अलग है।

भाषा अभिव्यक्ति एवं विचार विनिमय का सांकेतिक साधन है। संसार के सभी प्राणी किसी न किसी रूप में अपने-आपों की अभिव्यक्ति करते हैं। जिसका माध्यम शाब्दिक और अशाब्दिक रूप में सागन होता है। मनुष्य की अभिव्यक्ति का शाब्दिक भाषा से अभिव्यक्त करना संभव नहीं है। उसी अभिव्यक्ति के लिए मूल भाषा या शाब्दिक भाषा का ही प्रयोग किया जा सकता है। उदा -

- अधिक दूरी व्यक्ति अपनी पैदल की अभिव्यक्ति अपने आसुओं द्वारा करते हैं।
- बिल्ली म्याऊँ - माऊँ करते
- घुँघुँ - घुँघुँ करते तथा शाब्दिक भाषा में मनुष्य बोलकर अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं।

❖ भाषा का वैज्ञानिक अर्थ ❖

भाषाविद्यार्थियों के समस्त साधन भाषा के व्यापक अर्थ में सम्मिलित हो जाते हैं। भाषा - जड़ - पशुओं की भाषा अथवा स्तब्ध के लीलाकारों द्वारा इति भाषाचक्र द्वारा अभिव्यक्त भाषा के सूत्र रखे ही भाव द्विधा हुआ है, वह साधन जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी पर अपने विचार भाव या इच्छा व्यक्त करता है।

'भाषा' शब्द का प्रयोग बहुत ही व्यापक अर्थ में होता है। हम मनुष्य या अन्य जीवों के भावों को कभी - कभार हव्यात्मक भाषा न होने पर भी संकेतों द्वारा ही समझ लेते हैं। ऐसी दशा में भाषाविद्यार्थियों के समस्त साधन भाषा के व्यापक अर्थ में सम्मिलित हो जाते हैं।

❖ भाषा का परिभाषा ❖

• ठाबुराम सक्सेना के अनुसार "भाषा जीवात्मिक विचारों एवं भावों का व्यक्तिकरण प्रमुख रूप से होता है। ग्राह्य एवं निषिद्धों से प्रमाणित होता है। जीव स्वयं से दर्शन संकेत अथवा स्पर्श ग्राह्यता लेख सुद्धन आदि से है। अतः जिन एवं निषिद्धों द्वारा मनुष्य विचार विनिमय करता है, उसी समष्टि को भाषा कहते हैं।"

• सुगितानन्दन पंत के अनुसार "भाषा संसार का नादमय चित्र है। हव्यात्मक स्वरूप है। यह विश्व की हृदयतंत्री का कंठ है। जिसके स्वर में अभिव्यक्ति होती है।"

• डॉ. गोपालाश तिवारी के अनुसार "भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित एवं प्रतीकों की वह व्यवस्था है। जिसके द्वारा किसी भाषा सामाज्य के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं।"

भाषा की प्रकृति

भाषा के अपना गुण या स्वरूप को भाषा की प्रकृति कहते हैं। अर्थात् भाषा के सहज गुण स्वयं को भाषा की प्रकृति कहते हैं। इसी ही भाषा की विशेषता या लक्षण भी कह सकते हैं। भाषा की प्रकृति ही दो भागों में बाल भी बसता है।

भाषा की प्रकृति

① जो सभी भाषाओं के लिए समान है उसे भाषा की सर्वमान्य प्रकृति कह सकते हैं।

② जो भाषा विशेष में पाई जाती है उसे एक भाषा से दूसरी भाषा में भिन्न स्पष्ट होती है। इसे विशिष्ट भाषागत प्रकृति कह सकते हैं।

मानव भाषा को विचार-विनिमय द्वारा सीखता है जिसका सदैव विकास होता रहता है। जिसके कारण भाषा परिवर्तनशील रहती है। भाषा सामाजिक प्रक्रिया का एक अंग है। यह पैतृक सम्पत्ति नहीं है बल्कि इसे अनुकरण द्वारा सीखा जाता है। प्रत्येक भाषा का अपना लक्षण होता है। जिसे उसकी प्रकृति कहा जाता है।

भाषा का प्रकार

भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान-प्रदान करता है।

इससे शब्दों में जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित या कविता रूप में दूसरों को समझा सकते और दूसरों के भावों को समझ सकते।

भाषा के प्रकार

① मौखिक

② लिखित

③ सांकेतिक

अब शीला सामने होगा है तो बोलकर हम
 अपनी बात को कहते हैं। और जब वह सामने नहीं होता है
 तो लिखकर हम अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाते हैं। भाषा
 का जो मूल रूप है वह मौखिक होता है। इसे लिखने
 के लिए किसी प्रश्न की आवश्यकता नहीं होती है। बल्कि
 ही सीखी जानी है। जबकि लिखित भाषा को
 प्रयत्नपूर्वक सीखना पड़ता है। मौखिक भाषा के प्रकार
 मल्लिखित है —

1) मौखिक भाषा :- यह भाषा का मूल रूप है। और
 सबसे प्राचीनतम है। मौखिक
 भाषा का जन्म मानव के जन्म के साथ ही
 हुआ है। मानव जन्म के साथ-साथ ही
 बोलना शुरू कर देता है। अब शीला
 सामने होता है तब मौखिक भाषा
 का प्रयोग किया जाता है। जो
 मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई
 होती है। वह होती है 'शब्द'।
 इन्हीं शब्दों से शब्द बनते
 हैं। जिनसे वाक्य में प्रयोग
 किया जाता है।

2) लिखित भाषा :- अब शीला सामने
 तक बात पहुँचाने के ही तो उस
 को लिखित भाषा की आवश्यकता
 पड़ती है। लिखित भाषा
 को लिखने के लिए प्रयत्न
 और अभ्यास की जरूरत
 होती है। यह क भाषा का स्थायी
 रूप है जिससे हम अपने भाषा और
 विचारों को आने वाली पीढ़ियों के
 लिए सुरक्षित रख सकते हैं। इससे

द्वारा हम ज्ञान का प्रसार करते हैं।

जन्म से ही अपनी मातृभाषा सीख लेता है।
साक्षर लोग भी अपनी भाषाओं को सीख और समझ
सकते हैं। भाषा का मूल और प्राचीन रूप
मौखिक ही है लिखित रूप बाद में विकसित हुआ
, इसलिए हम कह सकते हैं भाषा का मौखिक
रूप प्रधान रूप है और लिखित रूप गौण है।

3) सांकेतिक भाषा :- जिन व्यक्तियों के माध्यम
से ही दूसरों को समझाते
हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। इसका अध्ययन
व्याकरण में नहीं किया जाता है।
उदाहरण :-

- गुर्गों वृत्तों की व्यवस्था
- संख्याएँ लिखित करने वाली प्रणाली

→ * भाषा की लिपि *

संसार में विभिन्न भाषाओं की लिखने के लिए अनेक
लिपियाँ प्रचलित हैं। जैसे हिन्दी, मराठी, नेपाली,
संस्कृत में अब "देवनागरी लिपि" में लिखी जाती
है। कुछ "प्राचीन लिपि" में लिखी जाती हैं। तथा
गुर्गों "रोम लिपि" में लिखी जाती हैं। मैं
इसी को लिपियाँ हैं जिनकी माध्यम
से भाषाओं को लिखा जाता है।

1) हिन्दी → देवनागरी

2) संस्कृत → देवनागरी

- अ) साँपेली - कैव - वर्णन -> रोगन
 क) पंजाबी -> सुखमुखी
 ग) डूँ - करनी -> फारसी
 घ) रूखी -> रूखी

* भाषा की विशेषताएँ *

भाषा की कुछ विशेषताएँ हैं जो सामान्य रूप से विश्व की समस्त भाषाओं में प्राप्त होती हैं। भाषा के इस स्वरूप की विवेचना ही भाषा विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। प्रत्येक भाषा के अपने व्याकरण हैं। इनके नियम उसी विशेष भाषा पर लागू होते हैं। परंतु आगे वर्णित भाषा की विशेषताएँ सभी भाषाओं पर लागू होती हैं।

(i) भाषा सर्वोत्तम ज्योति है : भाषा संसार की सर्वोत्कृष्ट ज्योति है, जो मानव के हृदय के अन्धकार को दूर करती है। यह ज्ञान ज्योति ही विश्व की समस्त मानवों का कार्यक्षम सिद्ध करती है। यह कल्पना भी नहीं किया जा सकता है कि भाषा के बिना मानव की क्या दयनीय स्थिति होती है।

● आचार्य हण्डी जी भाषा की इस प्रकाशशीलता को ध्यान में रखकर कहते हैं कि "अदि शब्दरूपी ज्योति संसार में जलती तो संसार में चारों ओर अंधारा ही रहता।

॥ इहमन्धतमः कृत्स्न आयेत भुवनत्रयम्
 अदि शब्दादयः ज्योतिर्वाहारे न हीयते ॥

२) भाषा आगमन को एक सूत्र में

बोखली है :- भाषा ही वह शक्ति है जो
संसार को एक सूत्र में

बोख सके। भाषा सगन्ध सूत्र है। प्रत्यक्ष में
भाषा को राष्ट्र (राष्ट्रनिगामी) और संप्रदायी
(संवत्स करने वाली) कहा गया है।

• आचार्य अर्जुनरि ने उसे विश्व निबन्धनी कहा है।

“ अहं राष्ट्रा संप्रदायी तन्मात्रम् ॥ ”

३) भाषा सर्वव्यापक है :- मानव का प्रत्येक कार्य भाषा
द्वारा संचालित होते हैं। व्यक्ति-
व्यक्ति, व्यक्ति-समाज या व्यक्ति स्वयं, सभी विचारों में
मानव का आधार भाषा ही है। मानव का आंतरिक और
ब्राह्म्य कार्य, चिन्तन-मनन, अभिव्यक्ति, वैयक्तिक और सामाजिक
कार्यों के लिए भाषा की ही सहायता ली जाती है।
आचार्य अर्जुनरि ने सभी लौकिक कार्यों का आधार
भाषा को माना है। भाषा से ही ज्ञान होता है,
ज्ञान से ही सभी काम होते हैं। अतः भाषा
सर्वत्र अनुप्युत है।

४) भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है :- भाषा सतत प्रवहमान
रूप में गतिमान है, अतः

इसका कोई एक अंतिम स्वरूप नहीं हो सकता। विश्व की
समस्त वस्तुएं परिवर्तनशील हैं, उसी प्रकार भाषा भी
परिवर्तनशील है। सदा परिवर्तनशील वस्तु का अंतिम
स्वरूप नहीं होता है। न संसार का कोई अंतिम
स्वरूप है न मानव शरीर का और न मानवीय
भाषा का।

5) भाषा की जारा कठिना से सरलता की ओर जाती है :-

जिस प्रकार पुल की जारा ऊपर से नीचे की ओर जाती है। उसी प्रकार भाषा भी कठिना से सरलता की ओर उन्मुख होती है। अनाधारण में मुख्यतः बालक से यह प्रवृत्ति देखी जाती है। कि वे कठिन शब्दों को सरल बना लेते हैं। इसका कारण यह है कि मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति यह है कि वह अल्प श्रम से अधिक लाभ उठाना चाहता है।

6) भाषा अर्पित सम्पत्ति है :- मानव शरीर के साथ भाषा भी जन्म के साथ नहीं आती है। भाषा को समाज से, समीपस्थ वातावरण से, सहयोगियों एवं साथियों से सीखा जाता है। अपनी योग्यता और प्रतिभा के अनुसार मनुष्य बाल्यकाल से भाषा को अर्पित करता है।

7) भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा मानव समाज एवं संस्कृति के विचारों एवं कर्मों का समर्थन किया जाता है।

8) भाषा मौखिक तथा लिखित प्रतीकों, शब्दों, वाक्यों व चिह्नों की व्यवस्था है।

9) भाषा के माध्यम से मानव अपने ज्ञान को संचित करता है। प्रसार करता है तथा अभिवृद्धि भी करता है।

10) भाषा मानव की कलाकृति है। जिसके प्रमुख कोशल बोलना, लिखना, पढ़ना तथा सुनना है।

11) ध्वनिगत अर्थों, चित्रों तथा चिह्नों द्वारा भाषा एवं विचारों की व्यक्तिक्रिया ही भाषा है।

→ * भाषा सीखने की प्रक्रिया → *

- i) भाषा को अनुकरण द्वारा सीखा जाता है।
- ii) भाषा को अभ्यास तथा प्रशिक्षण द्वारा सीखते हैं।
- iii) भाषा सीखने में कौशलों का विकास किया जाता है।
- iv) भाषा की शक्ति एवं क्षमताओं का विकास क्रमानुसार होता है।

विश्व प्रशिक्षणार्थी पाठ्यक्रम में भाषा की आवश्यकता

हमारे जीवन में प्रतिदिन भाषा की आवश्यकता होती है। पाठ्यक्रम में भाषा का संकुचित अर्थ है। प्रारंभिक विषयों के व्यवस्थित रूप तथा उनमें प्रयुक्त तकनीकी या पारिभाषिक भाषा के रूप से भिन्न खेली सामान्य भाषा के वगैरह से ही जो सभी विषयों के शिक्षकों के लिए आवश्यक है।

यह विज्ञान, टेक्नोलॉजी, कला, वाणिज्य, इतिहास, भूगोल, भाषा के निष्कर्ष

पाठ्यक्रम से आलग सेरी अध्ययन, अभ्यास की भाषा है। जिसका सभी विषयों के शिक्षकों को ज्ञान होना चाहिए।

विस्तृत अर्थ में पाठ्यक्रम के भाषा वह सामान्य भाषा है जो विद्यालय की सभी गतिविधियों में किसी न किसी रूप में व्याप्त है। यह शिक्षक के शिक्षण तथा विद्यार्थी के अधिगम से संबंधित भाषा होने के साथ-साथ पाठ्यक्रम पाठ्य-सामग्री व पाठ्यक्रमोंतर भाषा है। यह वह भाषा है जो अध्ययन, लेखन और प्रस्तुतीकरण में सहायक है।

पाठ्यक्रम में भाषा की दूसरी विशेषता यह की है कि शिक्षण में आसानी से कहा अध्ययन में शिक्षक के लिए यह जानना आवश्यक है कि उनके विद्यार्थियों की भाषागत प्रवृत्ति क्या है।

कक्षा में विभिन्न जाति, धर्म, सम्प्रदाय, वर्ग, भाषा के छात्र अध्ययनरत रहते हैं। उनके शिक्षक को छात्रों की भाषाची विभिन्नता की विशेषताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण व लेखन की सामान्य भाषा का कहा-पचा, प्रश्न, अभ्यास गतिविधि, शिक्षण व लेखन में प्रयोग प्रोत्साहित करना चाहिए।

शिक्षण प्रविष्टिणावर्ती पाठ्यक्रम में भाषा का महत्व

भाषा के बिना हम दैनिक कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन के लिए इसका महत्व तब जाता है। वही समाज ही भाषा सीखता है। प प्रयोग करता है, उसी भाषा विकसित होती है। भाषा से सामाजिक व्यवस्था का विकास होता है जिससे सामाजिक दृष्टि भी बच्चों के भंडार पैदा होती है।

- पढ़ने लिखने की प्रकृति की समझ :- पाठ्यक्रम पर भाषा का सीधे असर पड़ता है। वाचन या पढ़ने की भाषा की प्रकृति तथा लिखने की प्रकृति की समझ है। वाचन का अर्थ नैपथ्य पढ़ना न होकर लौकिक पढ़ना का अर्थ है। पढ़ने समय कब की समझना की आवश्यक है। अन्यथा वाचन निरर्थक हो सकता है।

- शिक्षण प्रविष्टिणावर्ती की समझ :- इसकी समझ अर्थ भाषा, शिक्षण की भाषा, पुरातन की भाषा, लिखने की भाषा, अन्तर्ग्रन्थ व संसार की भाषा के अन्तर्गत के प्रति शिक्षकों को संवेदनशील होना चाहिए।

- भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा बच्चे स्वयं से और दूसरों से बात करते हैं। शब्दों से ही वे अपनी वार्ता का स्वरूप तथा उसकी समझ बनाते शुरू करते हैं। सीखने की प्रक्रिया के लिए भाषा को समझें और उसे स्पष्ट तथा

तथा प्रभावी हों से उपयोगी करने की
समर्थता साधित करना आवश्यक है।

- शिक्षा से संसार चमकता है, युग युग अग्रे
बढ़ता है।

अंध-रूप से निकला मानव, कदम-पाँद पर
रखता है।

निरूपण :- इस तरह से कहा जा सकता है
कि भाषा का विकास और
मानव का विकास का सीधा संबंध है। भाषा
के माध्यम से ही मानव अपने ज्ञान को
संचित करता है। प्रसार करता है और
अभिवृद्धि करता है। भाषा एक ऐसा
माध्यम है जिसके द्वारा मानव सामाजिक
एवं संस्कृति के विचारों एवं कार्यों का
सम्प्रेषण किया जाता है। भाषा एक कला
है जो केवल मनुष्य को ही भाषा का
अमूल्य वरदान मिला है। भाषा सदैव
सम्पत्ति नहीं है बल्कि यह एक अभिन्न
सम्पत्ति है। भाषा हमारे जीवन में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा के
कारण ही मनुष्य इतना उन्नत प्राणी बन सका
है। अपनी विचारों को दूसरों को
समझाने का माध्यम ही भाषा है।

आपा के कारण ही बुद्धि विचार तथा
 चिंतन शक्ति विकसीत होती हैं।
 अथ "

COURSE 5

UNDERSTANDING DISCIPLINES AND
SUBJECTS (1/2)

आभार ज्ञापन

शिक्षा मुख्य रूप से द्विपक्षीय प्रक्रिया है जिसमें सीखना और सीखाना महत्वपूर्ण है। वी० एड० कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक स्तर पर निर्देशन, परामर्श आदि दोनों क्षेत्रों का महत्वपूर्ण स्थान है।

वी० एड० कार्यक्रम के अंतर्गत हमें समस्त व्याख्यातागण का सहयोग मिला। इसमें हमें व्यक्ति में वृद्धि व विकास की जानकारी प्राप्त हुई।

मैं सक्रिय कार्य के लिए सबसे पहले महाविद्यालय भारतीय कॉलेज ऑफ एजुकेशन में पाठ्यक्रम में विषयों की समझ के व्याख्यता सहायक प्रोफेसर मनोज कुमार गुप्ता के निर्देशन में इस कार्य को पूर्ण किया। जिसके लिए मैं उनके प्रति सहृदय अभारी हूँ।

धन्यवाद।

प्रशिक्षु का नाम	:- मधुमिका कुजूर
रोल नं०	:- 10
कक्षा	:- वी० एड० (प्रथम वर्ष)
सत्र	:- 2021-2023

शिक्षा दर्शन ही क्या तात्पर्य है ? शिक्षा और दर्शन के संबंध की विवेचना करें ?

शिक्षा दर्शन, दर्शन का वह शाखा है जिसमें हम शिक्षा संबंधी समस्याओं पर दार्शनिक दृष्टिकोण से विचार करते हैं यह एक प्रयुक्त दर्शन है जब हम विशुद्ध दर्शन के आधारभूत प्रत्ययों तथा सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं तो हम उसे शिक्षा दर्शन कहते हैं

शिक्षा दर्शन अध्ययन का एक नया क्षेत्र है जिसमें दर्शन एवं शिक्षा के सामाजिक समस्या को लेकर चिंतन करता है और उसका समाधान निकाला जाता है। यही पाठ्यपद्धति को शिक्षा दर्शन की संज्ञा दी जा सकती है।

दर्शन जीवन की समस्याओं को दार्शनिक दृष्टिकोण समझने का प्रयास करता है और उसके लिए जो समाधान दिया जाता है शिक्षा उसको व्यवहारिक रूप देती है।

शिक्षा दर्शन शिक्षा के क्षेत्र में गहन समस्याओं का समग्र रूप में अध्ययन करता है। और शिक्षा विज्ञान के लिए उन समस्याओं को अध्ययन के लिए ढीढ़ देता है। जो तत्कालिक हैं तथा जिसका वैज्ञानिक विधि से सरलतापूर्वक अध्ययन किया जा सकता है। उदा- हान्न योग्यता

के मापन की समस्या इत्यादि।

शिक्षा में दर्शन की अवधारणा

किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली का उस देश के दर्शन से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। कोई भी राष्ट्र की शिक्षा अपना आधार दार्शनिक सिद्धान्त को ही बनाकर चलती है। शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, अनुशासन तथा गुरु-शिष्य सम्बन्ध ही सभी दर्शन के रूप किसी न किसी रूप में, प्रकार से दार्शनिक सिद्धान्तों से जुड़े रहते हैं। यदि देश में प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद इत्यादि का दर्शन स्वीकार किया गया तो शिक्षा प्रणाली उसी से प्रभावित होगी। कहने का तात्पर्य है कि दर्शन और शिक्षा आपस में निकट से सम्बन्धित हैं।

आज के युग में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जिसके विचार किसी भी सम्बन्ध में दूसरे से अलग न हों। इसी प्रकार शिक्षा के बारे में भी कुछ व्यक्ति की कोई धारणा अवश्य होगी। अपने जीवन दर्शन के आधार पर ही उसके विचार आधारित होंगे क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के व्योम का ढंग अलग होता है।

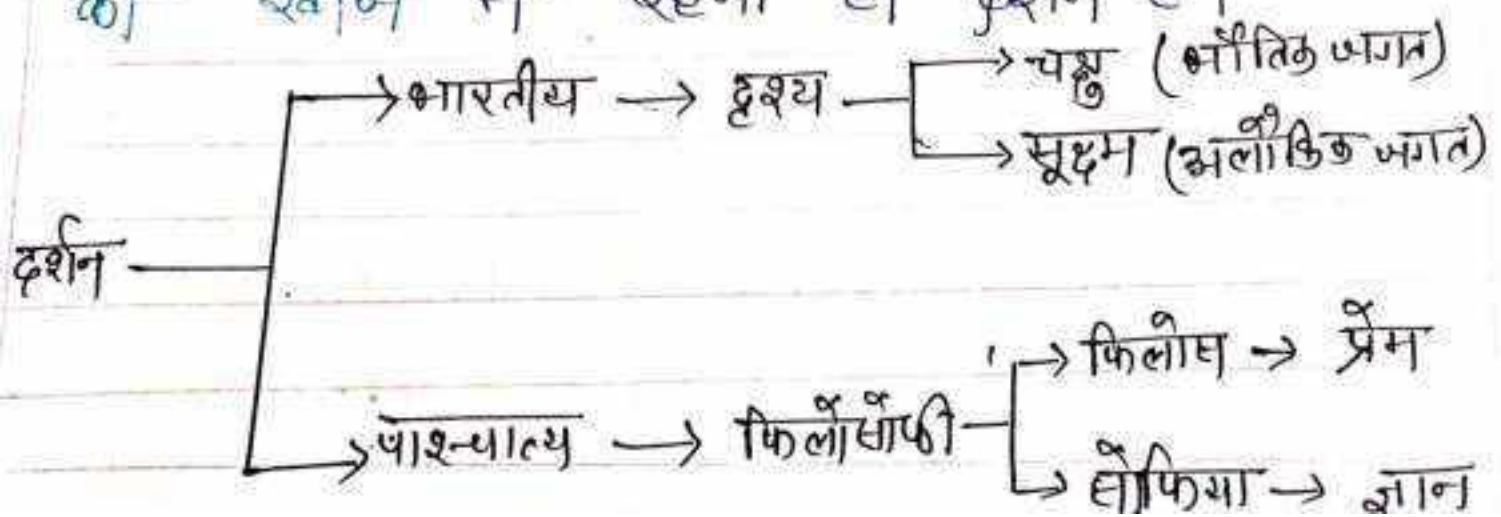
प्रायः देखा गया है कि एक व्यक्ति का जीवन दर्शन भी दूसरे व्यक्ति के जीवन दर्शन से भिन्न होता है।

साधन ही साधन विचारों में समन्वय की पाया जाता है।

आतः शिक्षा और कठिनायकों द्वारा शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण अत्यन्त कठिन हो जाता है क्योंकि शिक्षा के से सम्बन्धित उनकी धारणा उनके जीवन दर्शन से सम्बन्धित होती है। इसी आभास होता है कि शिक्षा तथा दर्शन में कुछ सम्बन्ध आवश्यक है।

दर्शन का अर्थ

'दर्शन' शब्द का उद्गम 'दृश' धातु से हुआ है, जिसका अर्थ 'देखना' है। हिन्दी शब्द 'दर्शन' को अंग्रेजी में philosophy (फिलॉसफी) कहते हैं। जो एक शब्दों फिलॉस तथा सोफिया से मिलकर बना है। जिसमें फिलॉस का अर्थ (Love) 'प्रेम' है। सोफिया का अर्थ (ज्ञान) का (of wisdom) है। इस प्रकार philosophy का अर्थ (Love of wisdom) है, अर्थात् नवीन ज्ञान की खोज में रहना ही दर्शन है।



दर्शन के शाब्दिक अर्थ

दर्शन के शाब्दिक अर्थ की हम दो दृष्टियों से समझ सकते हैं।

शाब्दिक अर्थ

① भारतीय दृष्टिकोण

② पश्चात्य दृष्टिकोण

1) भारतीय दृष्टिकोण :- इसके अनुसार दर्शन शब्द संस्कृत के दृश्य धातु से बना है जिसका अर्थ होता है देखना। देखना भी दो रूपों में देखा सकते हैं एक शुद्ध नेत्रों से देखना दूसरा कुछ इंद्रियों से देखना। शुद्ध नेत्रों से देखते हैं तो हम अलौकिक / अद्वैतात्मक ज्ञान का ज्ञान होता है। वहीं कुछ नेत्रों से देखते पर लौकिक ज्ञान या भौतिक ज्ञान का ज्ञान होता है।

2) पश्चात्य दृष्टिकोण :- इसके अनुसार दर्शन शब्द ग्रीक शब्द philosophy का हिन्दी रूपान्तरण है। philosophy शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। philos और sophia यहाँ philos का अर्थ है प्रेम और sophia का अर्थ है ज्ञान अर्थात् ज्ञान अर्थात् ज्ञान के प्रति प्रेम।

3) दर्शन का विशिष्ट अर्थ :- इसका अर्थ अमूर्त चिंतन के उस प्रत्यक्ष से है जिसके द्वारा आत्मा, ईश्वर, प्राकृतिक तत्वा सम्पूर्ण जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या है इस संसार में क्यों आया है, मृत्यु क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है ये सब का उत्तर देने का प्रयास दर्शन के द्वारा किया जाता है।

विद्वानों के अनुसार, सत्य तब्यों की खोज करना ही दर्शन है तथा दर्शन अत्यंतियों द्वारा विकसित होता है जो दार्शनिक होते हैं। परंतु कुछ विद्वानों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का कुछ न कुछ दर्शन होता है, उसका जीवन, सोचों तथा कार्य करने का अपना ही ढंग होता है। जिस मनुष्य का कोई जीवन दर्शन नहीं है वह अपने जीवन-यापन में सुख नहीं प्राप्त कर सकता और इधर उधर भटकता रहता है।

परिभाषाएँ

दर्शन की परिभाषाएँ विभिन्न विद्वानों द्वारा निम्नलिखित प्रकार से की गयी हैं।

जॉर्ज ई. पैट्रिक के अनुसार, "वास्तविक दर्शन वह है, जिसमें युवकों को जीवन के प्रति उचित दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करने और सम्पूर्ण सामाज्य में शिक्षा के उचित विचारों को ग्रहण करने की शक्ति होती है।"

आर. डब्लू. सैसर्स के शब्दों में, "दर्शन : विचारों द्वारा विश्व और मनुष्य की प्रकृति के विषय में ज्ञान प्राप्त करने का निरन्तर प्रयत्न है।"

लैण्डरसेन के मत में, "अन्य अध्ययनों के समान दर्शन का मूल्य उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है।"

इन परिभाषाओं को दृष्टिगत रखते हुए एक नवीन सामान्य परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है - "दर्शन उनिष्ट होगा जो अनवरत विचारों की एक कला है, जो मानव जीवन के सन्दर्भ में किसी भी रूप में काम आने वाली सभी वस्तुओं के सम्बन्ध में तर्कपूर्ण ढंग से विचार करती है। तथा तथ्य के निकट पहुँचने का प्रयास करती है।"

शिक्षा दर्शन के प्रकृति

- (i) शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं का सामाधान दार्शनिक तरीके से देने का प्रयास करता है।
- (ii) शिक्षा दर्शन ये शिक्षा कार्य में अनलग्न लोगों को निर्देशन की प्राप्ति होती है। जिससे वे आविष्कारक समस्याओं के प्रति सचेत हो जाते हैं।
- (iii) शिक्षा दर्शन शिक्षा तथा जीवन का समीक्षणक अध्ययन है।

(iv) शिक्षा दर्शन शिक्षा शास्त्र और दर्शनशास्त्र का एक अभिन्न विधाय क्षेत्र है।

(v) शिक्षा दर्शन शिक्षा में सनतानु लीगा की दृष्टि से बचना है। और समन्वयवादी दृष्टिकोण प्रदान कर समुदाय में सहायता प्रदान करता है।

शिक्षा दर्शन के कार्य क्षेत्र

शिक्षा दर्शन - शिक्षा दर्शन के अंतर्गत शिक्षा के समस्त कार्य समस्याओं और विधियों पर दार्शनिक की दृष्टि से विचार दिया जाता है। शिक्षा दर्शन के निम्न कार्य हैं:-

- शिक्षा दर्शन शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करता है।
- यह शिक्षण विधि का निर्धारण करता है।
- यह अनुशासन तथा शिक्षा व्यवस्था का निर्धारण करता है।
- शिक्षक से संबंधित कार्य तथ्यों का निर्धारण करता है।
- मूल्यांकन एवं परिक्षा के लिए तथ्यों का निर्धारण करता है।

शिक्षा दर्शन के उद्देश्य

- (i) शिक्षा दर्शन शिक्षक - शिक्षार्थी की संकाओं का आगमन करना तथा जलील गुणियों को सुलझाने में सहायता देना।
- (ii) शिक्षक - विद्यार्थी को कल्याणकारी मार्गदर्शन प्रदान करना।
- (iii) सांस्कृतिक विकास हेतु प्रवृत्तियों को विनिर्मित करना।
- (iv) वैश्विक परिप्रेक्ष्य में शैक्षिक चिंतन को सूर्य रूप देना।
- (v) समाज में फैली कुुरीतियों का अंत करना।

शिक्षा दर्शन के आवश्यकता

- (i) शिक्षा दर्शन विद्यार्थियों के बहुमुखी विकास में सहायक है।
- (ii) देश की परंपरा के अनुरूप शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण में सहायक है।
- (iii) शिक्षा दर्शन शिक्षक को अपने शिक्षण को व्यवहारिक बनाने में सहायक है।

(iv) शिक्षा दर्शन मानवता एवं शांति के स्थापना में सहायक है।

(v) शिक्षा दर्शन शिक्षा की विविध समस्याओं के तार्किक समाधान में सहायक है।

(vi) शिक्षा दर्शन शिक्षक को अपना जीवन दर्शन निर्धारित करने में सहायक है।

शिक्षा दर्शन का गतिशील पक्ष

उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि शिक्षा तथा दर्शन एक-दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते हैं। एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं। इसके साथ ही डॉ. एडम्स ने विचार प्रकट किये - "शिक्षा दर्शन का गतिशील पक्ष है। यह दर्शनीय विश्वास का यथार्थ पक्ष और जीवन के आदर्शों को प्राप्त करने का व्यावहारिक साधन है।" समाज में शिक्षा विभिन्न रूपों में चली आ रही है। इसमें से प्रमुख रूपों का विवरण इस प्रकार से है -

*) आदर्शवाद के अनुगीत व्यक्ति को समुदाय मुक्त रख आदर्शों के रूप में होता है वा और व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य उस आदर्श तक पहुँचना वा। धार्मिक शिक्षा घर आधारित चल वा। आदर्शवाद आत्मा

तब्या मन को अधिक महत्व देगा था। आदर्शवाद के बारे में प्लेटो ने कहा है कि "शिक्षा द्वारा सत्यार्थ, शिष्टार्थ तब्या युन्दरम के उद्देश्य के उद्देश्य को अपनाया जाना चाहिए। इनके लिए ये तीनों ही सबसे उच्च यथार्थताएँ थी।

② प्रकृतिवाद अपने शुद्ध रूप में वैज्ञानिक विचारधारा पर केंद्रित है। यह प्रकृति को सर्वोत्तम सत्ता के रूप में स्वीकार करता है। अर्थात् इसकी आध्या केवल भौतिक प्रमाणों में है। रूसो ने कहा कि "प्रकृति तब प्रकृति के नियन्त्रा के यहाँ से अर्द्ध रूप में आती है केवल मनुष्य के सम्पर्क से ही वह दुष्ट हो जाती है।"

③ यथार्थवाद में संसार को यथार्थ माना गया है तब्या अनुभवों को ब्राह्म्य संसार के गुण माना गया है। इसके अनुसार शिक्षा वर्तमान समय पर आधारित होनी चाहिए जो वर्तमान उद्देश्यों को पूर्ण करती है। यथार्थवाद शिक्षा द्वारा अनुशासन स्थापित करना चाहता है। कर्मेनियम के अनुसार, "विद्यालय मनुष्यों के चरित्र निर्माण का एक सच्चा स्थान है तब्या शिक्षा का उद्देश्य अच्छा जीवन है।"

उपरोक्त दर्शनों को देखते पर यह स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा समय-देश-काल एवं परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। इसलिए गतिशील माना गया है।

जैनताइल के अनुसार, "दर्शन के बिना शिक्षा की प्रक्रिया हुनी मार्ग पर आग्रसर नहीं हो सकती।"

शिक्षा तथा दर्शन में सम्बन्ध

- यदि शिक्षा को दर्शन से अलग कर दिया जाए तो शिक्षा अर्थहीन रह जाएगी, जिस प्रकार बिना जीवन के शरीर। दर्शन ही पाठ्यक्रम, विधि एवं अनुशासन आदि का निर्धारण करता है।

शिक्षा के लिए दर्शन अत्यधिक आवश्यक है। शिक्षा मानव जीवन के लिए जिस प्रकार आवश्यक है; उसी प्रकार दर्शन भी मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है क्योंकि दर्शन ही शिक्षा की आधारशिला है। दर्शन द्वारा ही शिक्षा का स्वरूप, शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम शिक्षण विधि, विद्यालय संगठन, अनुशासन एवं छात्र के कर्तव्य आदि का एक निश्चित स्वरूप प्रदान किया जाता है।

बिना दर्शन के शिक्षा का कोई निश्चित स्वरूप नहीं रहेगा। अतः उद्देश्यहीन पथिक के समान होगी, जिसकी पवित्र यह भी मालूम नहीं कि उसको कहाँ तक किस मार्ग तक जाना है। बतलर के अनुसार, "शिक्षा

प्रयोगों के लिए दर्शन एक पथ प्रदर्शक है।
 शिक्षा, अनुसन्धान के क्षेत्र में मार्गदर्शक
 रूप में दार्शनिक निर्णय एक निश्चित
 सामग्री को आधार रूप प्रदान करती है।

शिक्षा में दर्शन की
 आवश्यकता से यह स्पष्ट हो जाता है
 बिना दर्शन के शिक्षा उद्देश्यहीन है।
 इसी प्रकार दर्शन का विशाल शिक्षा की
 अमिता पर निर्भर करता है तथा
 दर्शन का प्रचार भी शिक्षा के द्वारा
 ही सम्भव है। शिक्षा मानव का मानसिक,
 शारीरिक एवं संवेगात्मक विकास करती
 है, जो स्वस्थ चिन्तन को जन्म
 देती है और स्वस्थ चिन्तन ही
 दर्शन का आधार है।

देवते हैं कि दोनों एक दूसरे के
 पूरक हैं। रास ने उन्हें एक ही सिक्के
 के दो पहलु कहा है। अतः शिक्षा
 तथा दर्शन के परस्पर सम्बन्ध
 को निम्नलिखित रूप में व्यक्त
 किया जा सकता है -

★ 1. शिक्षा में दर्शन :- शिक्षा मानव जीवन की
 सुखमय तथा सार्थक-
 मय बनाती है। यह मानव जीवन की

उद्देश्यपूर्ण पथ की ओर अग्रसर करके
उसे सार्थक बनाती हैं। प्रत्येक जीवन
एक निश्चित विश्वास पर आधारित
होता है। शिक्षा के अन्तर्गत
उपयोगी विश्वासी को ही लिया
जाता है।

अतः दर्शन और शिक्षा
एक दूसरे से समन्वित हैं। दर्शन
ही शिक्षा के स्वल्प को
निर्धारित करता है। यही नहीं
शिक्षा की प्रत्येक क्रिया दर्शन
पर ही आधारित होती है,
जो आने वाली पीढ़ी को
नवीन चिंतन के लिए
अग्रसर करती है।

यदि देखा जाए
तो सभी दार्शनिकों (प्लेटो, लॉक,
काण्ट, ड्यूवी, स्पेन्सर आदि) के
जीवन पर तो तब्या विचारों का शिक्षा
के अंतर्गत शिक्षा शास्त्र तथा दर्शन
शास्त्र विषयों के रूप में अध्ययन
किया जाता है।

* 2) दर्शन में शिक्षा :- दर्शन प्रायः नवीन
तथ्यों की दृष्टि में
रहता है, सत्य की ओर बढ़ने का
प्रयास करता है। प्राप्त तथ्यों को

कसौरी पर कलने का प्रभाव करता है।
और शिक्षा अनुभवों का लाभ
उठाकर जीवन में शिक्षा के महत्व
की स्वीकृति करता है।

यदि प्राचीन काल
से अब तक शिक्षा का अध्ययन
किया जाए तो वह की समय-
समय पर परिवर्तित होती आ रही है।
और शिक्षा वह महत्वपूर्ण साधन है।
जो मानव का सर्वांगीण विकास
करके उसे दर्शन के तथ्यों की
और सत्यता के लिए प्रोत्साहित
करती है।

प्रत्येक शैक्षणिक प्रश्न
निश्चित रूप से जीवन दर्शन से
सम्बन्धित होता है। 3

अतः शिक्षा तथा
दर्शन दोनों के तथ्य एक-दूसरे
के विकास में सहायक हैं। दर्शन
और शिक्षा एक दूसरे पर
अन्यान्यासित हैं। दर्शन में शिक्षा
के स्वरूप को विद्वानों ने
इस प्रकार स्पष्ट किया है।

1) जॉन डीवी के अनुसार - "दर्शन आपने
में शिक्षा विह्वल है।" सामान्यतया रूप

2) फिक्ट के शब्दों में - "शिक्षा की कला
दर्शनशास्त्र की सहायता के बिना

पूर्णता एवं स्पष्टता को प्राप्त नहीं कर सकती।”

- 3) स्पेन्सर के अनुसार - “वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक⁰ दार्शनिक ही कर सकता है।

शिक्षा के विभिन्न पक्ष पर दर्शन का प्रभाव

शिक्षा व दर्शन से अटूट सम्बन्ध है, इसलिए शिक्षा दर्शन से पूर्णतया प्रभावित होती है ठीक उस प्रकार जिस प्रकार कि किसी व्यक्ति की रंगति से दूसरा व्यक्ति प्रभावित होता है।

अतः शिक्षा के विभिन्न पक्ष - उद्देश्य, पाठ्यक्रम, पुस्तकें, शिक्षक विधियाँ, अनुशासन, मूल्यांकन, शिक्षक और विद्यार्थी आदि दर्शन से प्रभावित होते हैं। शिक्षा के इन पक्षों पर दर्शन के प्रभाव को निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है -

- 1) उद्देश्य पर प्रभाव
- 2) पाठ्यक्रम पर प्रभाव
- 3) पाठ्य-पुस्तकें पर प्रभाव
- 4) शिक्षण की विधियाँ पर प्रभाव
- 5) शिक्षक पर प्रभाव

1) उद्देश्यों पर प्रभाव :- शिक्षा के उद्देश्यों का निवारण दर्शन ही करता है। जिस प्रकार के जीवन दर्शन की आवश्यकता होगी, गुरुत्व को उसी रूप में ढालना आवश्यक होगा।

शिक्षा के उद्देश्य देश, काल तथा परिस्थितियों के अनुसार भिन्न-भिन्न निर्धारित होते हैं।

बालक को प्राकृतिक वातावरण से परिचित कराना ही इसका प्रमुख उद्देश्य था।

2) पाठ्यक्रम पर प्रभाव :- पाठ्यक्रम का भर्ष है - उद्देश्यों का ज्ञान प्राप्त करने की व्यवस्थित क्रियाओं का संकलन। इसके द्वारा उद्देश्यों की अनुभूति होती है। बाल्यकाल में पुस्तकीय ज्ञान को उचित नहीं माना। प्राकृतिवाद् में किशोरावस्था के लिए गणित, भाषा, संगीत, हस्तकला, सामाजिक शिक्षा को उचित समझा गया।

3) पाठ्य - पुस्तकों पर प्रभाव :- शिक्षा प्रदान करने के लिए पुस्तकें अत्यंत आवश्यक उपकरण हैं। जिनसे उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है। अच्छी पुस्तक का चयन भी दर्शन द्वारा प्रभावित होता है।

4) शिक्षण की विधियों पर प्रभाव :- शिक्षण-विधियों

एक माध्यम हैं जिनके द्वारा शिक्षार्थी का प्राप्ति करना और भी सरल बनता है। शिक्षण विधियों पर भी दर्शन का प्रभाव होता है।

5) शिक्षक पर प्रभाव :- शिक्षक को भी विभिन्न दृष्टियों में भिन्न-दृष्टिकोण से लिया गया है तथा शिक्षक की कार्य-विधि एवं क्षमताओं का निर्धारण किया गया है।

अतः अध्यापक निष्क्रिय माना गया है। अध्यापक यथा संभव छात्रों की समस्याओं का प्रयत्न करता है।

निष्कर्ष :- इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा और दर्शन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिसमें शिक्षा और दर्शन दोनों भागों में बाटकर देला सकते हैं। और शिक्षा दर्शन के अध्ययन का नया रूप में देखते हैं जिन्हें दर्शन एवं शिक्षा सामाजिक समस्याओं को लेकर चिंतन करता है।

और यदि शिक्षा और दर्शन से भला कर ही जाएगी शिक्षा अर्थहीन हो जाएगी।

शिक्षा के लिए दर्शन बाल्यात्मक आवश्यक
 हैं। क्योंकि दर्शन ही शिक्षा की
 आधारशीला है। दर्शन द्वारा ही
 शिक्षा की स्वल्प न वैशेष्य, विकास, अनुशासन
 को सुनिश्चित किया
 जा सकता है।

दर्शन शिक्षा के कई
 स्वरूप हैं ही नहीं। शिक्षा मानव
 का मानसिक शारीरिक एवं वैज्ञानिक
 विकास करती है। जो स्वस्थ
 चिंतन को जन्म देते हैं। और
 स्वस्थ चिन्तन ही दर्शन का
 आधार है।

COURSE 6

GENDER, SCHOOL AND SOCIETY (1/2)

आभार ज्ञापन

शिक्षा मुख्य रूप से द्विपक्षीय प्रक्रिया है जिसमें सीखना और सीखाना महत्वपूर्ण है। बी० एड० कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक स्तर पर निर्देशन, परामर्श आदि दोनों क्षेत्रों का महत्वपूर्ण स्थान है।

बी० एड० कार्यक्रम के अंतर्गत हमें समस्त व्याख्यातागण का सहयोग मिला। इसमें हमें व्यक्ति में वृद्धि व विकास की जानकारी प्राप्त हुई।

मैं सक्रिय कार्य के लिए सबसे पहले महाविद्यालय भारतीय कॉलेज ऑफ एजुकेशन में लिंग विद्यालय और समाज के व्याख्यता विवेक राज जायसवाल के निर्देशन में इस कार्य को पूर्ण किया। जिसके लिए मैं उनके प्रति सहृदय अभारी हूँ।

धन्यवाद।

प्रशिक्षु का नाम	:- मधुमिका कुजूर
रोल नं०	:- 10
कक्षा	:- बी० एड० (प्रथम वर्ष)
सत्र	:- 2021-2023

प्रश्न सामाज्य में स्त्रियों की भूमिका क्या है ?
 लिंगित विभेद को दूर करने के लिए संविधान
 में क्या उपाय है ?

शिक्षा किसी भी देश सामाज्य का मापक होता है और विशेषतः स्त्रियों तथा बच्चों की शिक्षा के द्वारा उस सामाज्य की प्रगति का आकलन किया जा सकता है। स्त्रियों की शिक्षा उनके अस्तित्व की सुरक्षा तथा मुख्य द्वारा में लाने के लिए आवश्यक है। सामाज्य तथा परिवार तब तक शिक्षित नहीं हो सकता जब तक स्त्रियों की शिक्षा की पहल समुचित व्यवस्था नहीं होगी।

• महात्मा गांधी के अनुसार "एक पुरुष शिक्षित होता है तो वह स्वयं शिक्षित होता है लेकिन यदि एक स्त्री शिक्षित होती है तो उसका सम्पूर्ण परिवार शिक्षित होता है।"

तो सीखना है परंतु यह सीखने की प्रक्रिया जीवन के प्रत्येक क्षण में चलती है। घर, बाहर तथा विद्यालय सब वहीं हैं जहाँ सीखने की प्रक्रिया सम्पन्न होती है।

स्त्रियों की स्थिति सुधार के लिए सबसे प्रभावी भूमिका निभाती है वह है "शिक्षा"। स्त्रियों की शिक्षा के लिए प्राचीन काल से ही आवश्यकता समझी जा रही है। तब भी विचारकों को सामाज्य विचारों काशीनिष्ठ तथा भारतीय संविधान

स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए पर्याप्त उपबन्ध किए गए हैं।

लिंगीय विभेद का अर्थ

लिंगीय विभेद का अर्थ है बालक तथा बालिकाओं के मध्य व्याप्त लैंगिक असमानता। बालक तथा बालिकाओं में उनके लिंग के आधार पर भेद करना जिसके कारण बालिकाओं की सामान्य शिक्षा में तथा पालन-पोषण में बाधा है निम्नतर स्थिति में रहना जाता है। जिससे वे पिछड़े जाती हैं। बालक तथा बालिकाओं में विभेद उसके लिंग को लेकर किया जाता है।

प्राचीन काल से ही यह अवधारणा प्रचलित रही है कि जीवन पुत्र का सुख देखने मात्र से ही नरक और कई प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। और बालिकाओं की प्रत्येक प्रकार से सुरक्षा करनी पड़ती है। अतः बालक श्रेष्ठ है और कुल का गौरव तथा कुल का नाम आगे ले जाने में उनका महत्वपूर्ण भूमिका है।

प्राचीन काल में स्त्रियों की स्थिति तथा शिक्षा

प्राचीन काल में स्त्रियों की स्थिति

- पत्नी का सम्मान तथा कर लक्ष्मी थी।
- विधवाओं का पुनर्विवाह की अनुमति थी।
- प्राचीन काल में शातपथ ब्रह्मण में उल्लेख है कि पत्नी के बिना पुरुष अधूरा है। उल्टे बिना चरा की अधूरा समझा जाता था।
- और सैतरेय ब्रह्मण में पत्नी को मित्र माना जाता था।
- अविवाहित पुत्री को ही पिता के सम्पत्ति में अधिकार था।
- शांति में स्त्रियों का सम्मान किया जाता था तथा परिवार में सम्मान की मिलता था।
- शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार

प्राचीन काल में तद्वैद में पुत्री का जन्म पर दुरी होने का दाय्य नहीं मिलती है। लेकिन पुत्र जन्म का कामना की जाती थी। सव्यवैद में पुत्र जन्म के लिए धार्मिक संस्कारों का उल्लेख किया गया है।

प्राचीन कालीन समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था प्रचलित थी जिसमें समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य को शिक्षा प्राप्त करने

करने का अधिकार था। इन मीनों-वर्णों की छिन्नो
की भी पुरुषों की भांति शिक्षा प्राप्त का अधिकार
था। शिक्षा पुरुषों के समान सामाजिक क्रियाकलापों
में भाग लेती थी। गृहक्षेत्र में भी जाकर अपना
कीमती प्रदर्शित करती थी। यहाँ हाथ,
अभ्यास, विश्वकार, हाथला, उर्वशी, मैत्रयी,
अनुपमा तथा अनुपमा इत्यादि विदुषी
महिलाएँ रही होंगी।

उत्तर-वैदिक काल
तक आते-आते छिन्नो की स्थिति को में
परिवर्तन आया, क्योंकि भारतीय संस्कृति
का अन्य सभ्यताओं तथा संस्कृतियों के
साथ संक्रमण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप
उनकी उन्नत स्थिति में गिरावट के
लक्षण परिलक्षित हुए तथा उन पर
कुछ सामाजिक प्रतिबंध लगा दिये गये।

प्राचीन कालीन महिलाओं
की स्थिति तथा उनकी शिक्षा के अन्तर्गत बौद्ध
काल तथा उनकी शिक्षा की छाती है। बौद्ध
काल में महात्मा बुद्ध ने तत्कालीन सामाजिक
में जिन बुराइयों को देखा और जिन
बुराइयों ने उनके अन्तर्गत को उद्घेलित कर दिया
वे निम्न प्रकार थी -

- ① छिन्नो की दयनीय दशा
- ② अन्धविश्वास तथा कुरीतियाँ
- ③ जाति व्यवस्था
- ④ छैल-नीय का आव।

महात्मा बुद्ध ने स्वयं शान प्राप्ति के लिए कठोर तप किए तथा शान-प्राप्ति के पश्चात् उन्होंने धूम-धूमकर अपनी शिक्षाओं का प्रचार-प्रसार किया। प्रांश में तो उन्होंने बौद्ध संघों से स्त्रियों को पृथक् रखा, परंतु बाद में अपनी मौखिक तथा प्रयोग बौद्ध भिक्षुणी महामाया गौतमी के कहने पर संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी। शंखगिरि, पद्मा इत्यादि स्त्रियों ने बौद्ध विद्या ग्रहण की।

मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति

मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आने लगी थी उनकी जीवन नियंत्रित था। बहु प्रथा प्रचलन था लेकिन विधवा विवाह पर अंकुश लगा हुआ था।

मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति

- ① पक्ष-प्रथा
- ② स्त्रियों को विलास की वस्तु मानना
- ③ स्त्रियों को पुरुषों की शपथ हीन मानना
- ④ यती-प्रथा, बाल-विवाह इत्यादि कुसीतियाँ
- ⑤ स्त्रियों का कार्यक्षेत्र घर की छ-चारदीवारी तक सीमित मानना।
- ⑥ स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार तथा उनकी शोचना

के साथ सिलवाइ ।

मध्यकाल में स्त्रियों की सती प्रथा का प्रचलन था । तब का जीवन भर वे भिक्षुनियों के समान रहे । इनका जीवन नियंत्रित हो गई थी । लेकिन हिन्दू साम्राज्य में इनके शिक्षित महिलाएँ थी । जैसे सवनी, सुन्दरी, पहिनी आदि । लेकिन इस काल में हिन्दू तथा मुस्लिम साम्राज्य की महिलाओं में अंतर था । मुस्लिम महिलाओं में पर्दा प्रथा का प्रचलन था । जिसके कारण शिक्षा का अभाव था । इनका शिक्षा कुरान के अध्ययन तक ही सीमित थी । चलन काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत बुरा था दंतौधजनक नहीं थी ।

मध्यकाल को चलन काल तथा मुस्लिम काल के नाम से जाना जाता है । इस काल तक आते - आते स्त्रियों की स्थिति तथा प्राचीन जीवन में बहुत अधिक साध आ गया । इस काल में प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था पर पुनरावलोकन करने का प्रयास किया गया । और उसके स्वरूप पर मुस्लिम शिक्षा का प्रचार - प्रसार किया गया ।

स्त्री शिक्षा का सबसे अधिक पतन का काल रहा है । परंतु अमलादस्वरूप कुछ स्त्रियों के नाम प्राप्त होते हैं, जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की । इनमें राज्या सुल्तान, गुलबदन, बुरजहाँ, जहाँगिरा, मुक्तमारी जीजाबाई ।

तथा आस्थावाद का नाग प्रभुत्व से लिया जा सकता है। और कुलीन घरानों के महिलाओं को घर पर ही शिक्षित किया जाता था। इस प्रकार ही ज्ञात होता है कि स्त्रियों की सामाजिक स्थिति तथा शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं थी।

मध्यकाल को अन्ततःकाल तथा मुस्लिम काल के नाम से भी जाना जाता है। मध्यकाल भाते-भाते स्त्रियों की स्थिति तथा प्राचीनकालीन गौरव में बहुत अधिक ह्रास आ गया।

ब्रिटिश काल में स्त्रियों की स्थिति तथा शिक्षा

ब्रिटिश काल में स्त्रियों की स्थिति

- ↓ स्त्रियों तथा पुरुषों में लैंगिक विभेद मानना
- स्त्रियों को पुरुषों की उपेक्षा हीन मानना
- पढ़ी-लिखी स्त्री को घर के विनाश का कारण मानना
- स्त्रियों को पुरुष की पूरक मानना तथा स्वतन्त्र अस्तित्व की नकारना।
- विधवा विवाह न होना
- सती-प्रथा, पढ़ा-प्रथा तथा बाल-विवाह आदि कुरीतियों ने स्त्रियों की स्थिति को गत में पहुँचा दिया।

उपनिवेशकाल में महिलाओं की स्थिति: इस काल में

वै सभी कुप्रथाएँ सामाज्य का अधिन्न अंग बनी रही जिसका विकास गृह्य काल में हुआ। ब्रिटिश काल में इन्हें प्रथा का प्रचलन हो गया था। जिसके फलस्वरूप बड़कियों को शार दंगला जाता था। इस काल में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि के प्रयत्नों से सामाज्य सुधार आंदोलन हुआ जैसे सती प्रथा, बालिका हत्या, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह पर नियंत्रण तथा स्त्री शिक्षा पर और दिया जाना लगा।

• पारिवारिक क्षेत्र :- पारिवारिक जीवन में उन्हीं को अधिकार प्राप्त नहीं था। परिवार का मुखिया पुरुष होता था। स्त्रियों को परिवार से बाहर जाने का अधिकार नहीं था। बाल-विवाह होता था। स्त्री केवल यंत्रण पैदा करती तथा गृहस्थी के कार्य करती। विधवा होने पर उन्हीं स्वयंसे दानियाँ हो जाती थीं उस स्त्री के भाग्य में काम करना ही निरव था।

• सामाजिक क्षेत्र :- सामाजिक क्षेत्र में भी स्त्रियों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। बाल विवाह तथा पर्व प्रथा प्रचलित थी। औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। धार्मिक तथा पारम्परिक

इसमें से स्त्रियों का कार्य क्षेत्र घर की चारदीवारी था।

• राजनैतिक क्षेत्र :- राजनैतिक क्षेत्र में 1919 तक स्त्रियों को पार्लियामेंट का अधिकार प्राप्त नहीं था। सन् 1935 में स्त्रियों को मतदाता, अर्थात् बिना पति की हिवति, सम्पत्ति आदि के सबूतों दिया गया। किसी भी राजनैतिक कार्य में स्त्रियों को भाग नहीं लेना दिया जाता था। महात्मा गांधी भी ने स्त्रियों को घर के बाहर जाने का प्रयास किया जिसके फलस्वरूप स्त्रियों स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना प्रारंभ किया।

✱ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महिलाओं की हिवति ✱

• स्त्री शिक्षा :- इस काल में महिलाओं की हिवति में काफी परिवर्तन आया। इस समय स्त्री शिक्षा का प्रसार हुआ। इस समय स्त्रियों औद्योगिक संस्थानों और विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी करने लगी। अब वे आत्म निर्भर होती जा रही थी। वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन आया।

अब स्त्री की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ। अब महिलाएँ व्यवसायिक शिक्षा ग्रहण करने लगी। वे कला, विज्ञान, वाणिज्य, गृहविज्ञान, संगीत, लिपिकता आदि की शिक्षा प्राप्त कर रही थी।

आर्थिक क्षेत्र में प्रगति :- इस समय महिला कोई ना कोई कार्य करती रही। इस समय स्त्री की कोई भी कार्य को पूरा नहीं समझा जाता था। अब महयम वर्ग की स्त्रियाँ अकौग, इफतरी, शिक्षण संस्थाओं, अस्पतालों, सामाजिक कल्याण केन्द्रों एवं व्यापारिक संस्थाओं में काम करने लगी थी।

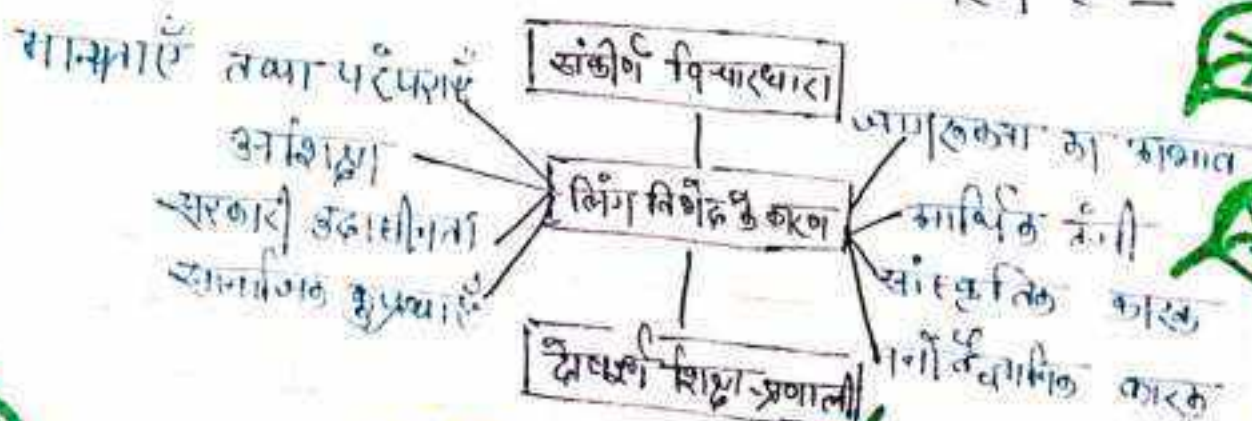
सामाजिक आराखड़ा में वृद्धि :- अब स्त्रियाँ प्र पर्दा प्रथा को बंधन समझने लगी। अब बहुत सी स्त्रियाँ घर महयम वर्ग को अब बहुत सी स्त्रियाँ घर की चारदीवारी के बाहर खुली हवाओं में साँस ले रही हैं। कोई स्त्रियाँ तो सामाजिक कल्याण के कार्य में लगी हुई हैं।

पारिवारिक क्षेत्र में अधिकारों की प्राप्ति :- इस समय स्त्रियों के पारिवारिक अधिकारों में वृद्धि हुई है। अब वर्तमान में स्त्रियाँ संयुक्त परिवार के बंधन से मुक्त होकर एकल परिवार में रहना चाहती हैं। अब विवाह विच्छेद के मामलों में भी स्त्रियाँ का पुरुषों के सामान अधिकार प्राप्त हैं। आज की बदलती हुई परिस्थितियों में स्त्रियों को हाथी बनना नहीं स्वाभाविक है।

कहा जा सकता है कि 19वीं और 20 सदी में स्थिति में काफी सुधार हुआ। ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में अब आधुनिक शिक्षा सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन में घुसी तरह आग नहीं है। इसी वी। कारण है स्त्री शिक्षा में अभाव। अब अब शहरी बड़ी ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में स्थिति में सुधार आ रही।

लिंगीय विभेद के कारण

लिंग विभेद से तात्पर्य है :- बालक तथा बालिकाओं के मध्य व्याप्त व्यापक लैंगिक असमानता। बालक तथा बालिकाओं में उनके लिंग के आधार पर भेद करना जिसके कारण बालिकाओं के सामाजिक शिक्षा तथा पालन पोषण में बालकों से निम्न स्तर स्थिति में रखा जाता है जिससे वे पिछड़े जाती हैं, लिंग विभेद कहलाता है। लिंग विभेद के निम्नलिखित कारण हैं -



1) मान्यताएँ एवं परंपराएँ :- हमारे सामाज में लिंगीय विभेद का प्रमुख कारण है भारतीय मान्यताएँ एवं परंपराएँ हैं। हमारे सामाज में कहा जाता है कि पिता के मृत्यु के बाद पुत्र के द्वारा ही पितृय कार्य चरित्र के साथ ही सम्पन्न करने की मान्यता रही है। जिसके कारण ही पुत्र का महत्व दिया गया है। वंश काय बढाने में पुरुष ही प्रधान है। उसी के परिणामस्वरूप बालिकाओं को गर्भ में ही हत्या कर दी जाती है और काश्मिर बालिकाओं को बेइश समझ कर ही उनका पालन पोषण किया जाता है। इस प्रकार मान्यताएँ एवं परंपराएँ लिंगीय विभेद में वृद्धि करने का प्रमुख कारण हैं।

2) संकीर्ण विचारधारा :- हमारे सामाज में बालक एवं बालिकाओं में विभेद का प्रमुख कारण है। संकीर्ण विचारधारा है कि बालक ही अपने माता-पिता का बुढ़ापे का सहारा बनेगा और वंश चलायेगा और बालिकाओं के जन्म होने पर दुहेज तथा चुल्हा-चौका तक ही सीमित रहता है। इस तरह का विचारधारा हमारे सामाज के लिए लिंगीय विभेद का प्रमुख कारण बना हुआ है।

3) मनोवैज्ञानिक कारण :- लिंगीय विभेद में मनोवैज्ञानिक कारणों की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में ही स्त्रियों या बालिकाओं के गतिचक्र में यह बात बीठा ही जाती है कि पुरुष स्त्रियों से श्रेष्ठ है तथा महिलाओं का कभी प्रत्येक आका

का पालन परमेश्वर की आज्ञा करना चाहिए।
अकेली महिला को सामाज्य में हेतु की दृष्टि
से देखा जाता है। इस प्रकार स्त्रियों में एक
मनोवैज्ञानिक कारणों से कहानी है कि पुरुष उनमें
श्रेष्ठ हैं और वे स्वयं स्त्री होकर भी
बालिकाओं के जन्म और उनके सार्वजनिक विकास
का विरोध करते हैं।

4) जागतिकता और अज्ञान : हमारे सामाज्य में लिंग-
क विभेद प्रमुख कारण पालन
पौषण में बालक और बालिकाओं में भेदभाव किया
जाता है। वहीं जागतिक सामाज्य बालक और बालिकाओं
को एक समान मानता तो यह स्थिति नहीं होगी
हमारे सामाज्य में बाल विवाहों की अपेक्षा बालक
की बालिकाओं की तुलना में उचित प्रवेश नहीं दिया
जाता है। अतः सामाज्य के लोगों को अपने
नजरियों को बदलना होगा। तभी हमारे समाज
में लिंगीय विभेद की समाप्ति होगी।

5) अशिक्षा :- लिंगीय विभेद में भी अशिक्षा की
महत्वपूर्ण भूमिका है। अशिक्षित
व्यक्ति परिवार तथा सामाज्य में चले आ रहे
परंपराओं और अंधविश्वासों पर विश्वास करते हैं।
और बिना सोचे समझे उसी परंपरा को मानते
हैं। इसका परिणाम है कि लड़के के
तुलना में लड़कियों को शिक्षा में भी हम
महत्व नहीं देते लेकिन शिक्षित व्यक्ति
यह चिन्तन करता है कि स्त्रियों की शिक्षा नहीं
होगी तो सामाज्य सामाज्य शिक्षित नहीं होगा।

इसलिए हमारे सामाजिक क्षेत्रों की शिक्षा पर विशेष बल देना चाहिए तभी हम इस असमानता को दूर कर सकते हैं।

⑥ सरकारी उदासीनता :- हमारे समाज में लिंगीय विभेद बढ़ने में सरकारी उदासीनता भी एक प्रमुख कारण है। सरकारी अस्पतालों में शिक्षा कारवाई नहीं होती है। जो भ्रूण हत्या को रोक जा सकता है। भ्रूण हत्या को रोक जा सकता है। भ्रूण हत्या के कारण हमारे समाज में आण भी हो रहा है। इस पर रोक लगाना चाहिए।

⑦ आमांजिक कुप्रथाएँ :- भारतीय समाज में आण आधुनिकता के रूप में भी सामाजिक समस्याएँ हैं। जो हमारे समाज में लिंगीय विभेद का प्रमुख कारण बना हुआ है। जैसे - दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, बाल-विवाह, विधवा विवाह, निर्धन दहेजखानी एवं दहेजघाट, डायन विवाह। इस तरह की हमारे समाज में कुप्रथाएँ हैं।

⑧ आर्थिक तंगी :- भारत में आर्थिक तंगी से प्रभावित रहे परिवारों की संख्या अत्यधिक है। ऐसे में वे बालिकाओं की अपेक्षा बालकों की संतान के रूप में अधिक प्राधान्य देते हैं। क्योंकि बालकों को ही परिवार की आर्थिक जिम्मेदार समझा जाता है। और लड़कियों को घर में ही सीमित रख दिया जाता है। लड़कियों को पढ़ाई करने समझ कर समाज-पिता प्रभावित

15
रूप से शिक्षा नहीं है पाठ है।

लिंगीय विभेद को दूर करने के
लिए संविधान में क्रिया में
- उपारा -

संविधान के परिपेक्ष्य में स्त्रियों को उन्नत
दैनिक स्थिति को देवते हुए हमारे संविधान
में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं -

अनुच्छेद 14 - कानून के समक्ष समानता कानून
द्वारा ही की गई है, चाहे वह
स्त्री हो या पुरुष ।

अनुच्छेद 15(3) - सरकार की तरह या महिलाओं एवं
बच्चों को विशेष प्रदान की गई है।

अनुच्छेद 16 : लैंगिक सेवाओं में बिना भेदभाव के आय
की समानता ।

अनुच्छेद 19 : समान रूप से अभिव्यक्ति की
संस्वर स्वरूपता ।

अनुच्छेद 23-24 : भारतीय संविधान द्वारा नारी
क्रय - विक्रय पर रोक

अनुच्छेद 39(घ) : स्त्री - पुरुष दोनों को समान

पार्स के विचार समान हैं।

अनुच्छेद 333 (अंग्रेजी) : पंचायती राज एवं नगरीय
संस्थाओं में नर एवं नरियों
के भाग्य में महिला आंदोलन की अवस्था।

अनुच्छेद 42 : महिलाओं के लिए प्रधुनि सरकार

अनुच्छेद 43 (अंग्रेजी) : पंचायत जीवन स्तर तथा स्वास्थ्य
में सुधार पर कार्य।

अनुच्छेद 337 : 84 वें संशोधन द्वारा राज्यसभा
में महिला आंदोलन की
अवस्था।

महिलाओं की स्थिति में सुधारों
के लिए संविधान में दिए गए उपायों का
विस्तार है व्याख्या -

स्त्रियों की उन्नीसवीं स्थिति से उधारों के
प्रयास विविध अर्थ हैं ही समाजसेवियों समाज-
सुधारकों तथा निश्चयीयों द्वारा प्रारंभ कर दिए गए हैं
जिसमें परिणामस्वरूप स्त्रियाँ पढ़ने की ओर और
गृहस्थी के कार्यों से मुक्त तथा व्यवसाय में अपनी
शक्तियों की अपनी प्रतिभा का पूर्णतः मनवा दिया।

महिलाओं के अधिकारों में उन्नीसवीं
मानव अधिकार के विचार के साथ ही गयी हैं तथा
समय के साथ-साथ उनके प्रति अत्याचारों में सुधार
होने गयी है। मानव अधिकार के अन्तर्गत सभी व्यक्तियों
को समान अधिकारों के समान अधिकार प्राप्त हैं।

भारतीय संविधान भारत की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय धरोहर है। 26 जनवरी 1950 का दिन भारतीय इतिहास में एक अमूर्त आभूषण के रूप में लिखा गया। भारतीय संविधान द्वारा अमूमिकाओं को सुदृढ है संवैधानिक एवं विविध अधिकार प्रदान किए गए हैं।

1) (अनु०-14) :- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार "भारत राज्य क्षेत्र में के किसी भी नागरिकों को विधि के समक्ष समता अथवा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। समानता से यहाँ अभिप्राय यह है कि सभी स्त्री व पुरुष में किसी भी प्रकार का लिंग भेद नहीं है तथा यह अधिकार समान रूप से दोनों को प्राप्त होगा।

2) (अनु०-15) :- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार "राज्य केवल धर्म, मूल पंथ, जाति, लिंग व जन्म स्थान के स्वतंत्र आधार पर नागरिकों के मध्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। भारतीय संविधान में यह स्पष्ट है कि पुरुष एवं महिला के सामान अधिकार प्रदान किए गए हैं। साथ ही इस अनु० के खण्ड 3 में स्त्रियों के लिए विशेष व्यवस्था भी की गयी है।

3) (अनु०-19) :- अनु० 19 महिलाओं को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है ताकि महिलाएं स्वतंत्र रूप से भारत राज्य के क्षेत्र में

आपगमन कर लेंगे। किसी भी कार्य में वैधित्व कला
मौखिक आक्षेप का बल्लभन माना गया है।

(4) (अनु. 23-24) :- अनु. 23-24 के अनुसार महिलाओं
के विरुद्ध होने वाले शोषण की
नारी के सम्मान के विपरीत मानते हुए उनकी
हताश-फरौदत वैश्या-वृत्ति करना आदि को दंडनीय
अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसके
लिए सन 1956 में "पीमैन एंड गर्ल्स एक्ट"
की भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया
ताकि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले सभी प्रकार
के शोषण को समाप्त किया जा सके।

5) (अनु. 39) :- अनु. 39 के अनुसार
स्त्री की जीविका के
प्राप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार
तथा अनु. 39 (द) के अनुसार साधन
कार्य के लिए समान वेतन का
अधिकार दिया गया।

(6) (अनु. - 42) : अनु. 42 महिलाओं को
प्रभुति अवकाश प्रदान करता है।

(7) (अनु. - 46) :- अनु. 46 राज्य के दुर्लभ
की के लिए शिक्षा-तन्त्र
कार्य संशोधन हेतु विशेष सावधानी से
अभिवृद्धि करेगा।

⑧ (अनु० 51) : संविधान के भाग 4 के अनु० 51

(क) तथा (3) में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि हमारा दायित्व है कि हम हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व की समझते हुए इस प्रकार के प्रयासों का त्याग करें और महिलाओं के मान सम्मान के रक्षक हों।

⑨ (अनु० 243) :- अनु० 243 (द्व.) के 3 के अनुसार प्रत्येक पंचायत के प्रत्येक निवर्तक से बरे गल स्थानों की कुल संख्या के $1/3$ स्थान स्थितियों के लिए आरक्षित रहेंगे।

⑩ (अनु० - 325) अनु० 325 के अनुसार निवर्तक नामावली में महिला एवं पुरुष दोनों को समान रूप में सम्मिलित करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

निष्कर्ष :- इस तरह से कहा जा सकता है कि शिक्षा व स्वास्थ्य सामाजिक का मापक होता है। और प्राचीन काल से ही लिंग की लेकर निर्भेद किया जा रहा था। लेकिन आधुनिक काल में यह निर्भेद कम देखने को मिल रहा है। क्योंकि अब सामाजिक सिंघात में स्थिति हो रहे हैं तथा जाग्रत हो रहे हैं। सामाजिक में स्थितियों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता रही है। स्थिति आज से बहुत में जा रही है। महिला हैं कहा है कहां बिना पता नहीं है।